breakthrough

unicef
unite for children

मॉड्यूल 10

किशोरियों और किशोरों के लिए क्षमता संवर्धन मॉड्यूल

बाल विवाह और हिंसा का समाधान करने के लिए किशोरवय सशक्तिकरण के बारे में

किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट

© यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)
© ब्रेकथ्रू

इस प्रकाशन को शिक्षा या लाभ रहित उद्देश्य हेतु पुनः उत्पादन कॉपीराइट धारक के अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि इसके स्रोत को मान दें।

इंगित संसकरण:
“किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट” 2016, नई दिल्ली : यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू
यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू को ऐसे प्रतिलिपि को पाकर खुशी होगी जो इस प्रकाशन को स्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रहें हों।

यदि इस प्रकाशन को किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

अनुमति एवं अन्य सवालों के लिए संपर्क करें:
newdelhi@unicef.org

सामनेवाले कवर का फोटो
© Breakthrough/India

© Breakthrough/India

मॉड्यूल 10

किशोरियों और किशोरों के लिए क्षमता संवर्धन मॉड्यूल

बाल विवाह और हिंसा का समाधान करने के लिए
किशोरवय सशक्तिकरण मॉड्यूल

विषय सूची

युनिसेफ पृष्ठ 5

ब्रेकथ्रू पृष्ठ 6

बाल विवाह और सामाजिक लिंग आधारित हिंसा उन्मूलन के लिए किशोरवय के साथ कार्य करना पृष्ठ 8

अंतरलैंगिक संवाद: किशोरियों एवं किशोरों के साथ एक साथ कार्य क्यों किया जाए ? पृष्ठ 8

किशोरियों/किशोरों के लिए यह प्रशिक्षण मॉड्यूल क्यों तैयार किया गया है? पृष्ठ 9

किशोरियों और किशोरों के लिए ये प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाते हुए किन कारकों का ध्यान रखा गया है? पृष्ठ 10

किशोरियों/किशोरों के प्रशिक्षण मॉड्लयू के लिए पहचान की गयी क्षमता संवर्धन की मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं? पृष्ठ 10

किशोरियों/किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की अवधि और प्रस्तुत करने का तरीका क्या है? पृष्ठ 11

किशोरियों/किशोरों के लिए इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत किस तरह से सत्र संचालित किए जा सकते हैं? पृष्ठ 11

किशोर लड़कियों और लड़कों के लिए क्षमता निर्माण मॉड्यूल के तहत सत्र योजनायें पृष्ठ 12

मॉड्यूल I: सामाजिक लिंग और लैंगिक भेदभाव को समझना पृष्ठ 13

सत्र 1 - सामाजिक लिंग रूढ़िबद्धता पृष्ठ 14

सत्र 2 - अपने जीवन पर सामाजिक लिंग और लिंग के प्रभाव की पहचान करना पृष्ठ 16

सत्र 3 - हिंसा और अधिकार पृष्ठ 18

सत्र 4 - संबंधों में लिंग और सत्ता के बीच की कड़ी पृष्ठ 20

मॉड्यूल II: विवाह एवं संबंध का निहितार्थ समझना पृष्ठ 22

सत्र 5 - बाल विवाह - मानव-अधिकारों का उल्लंघन पृष्ठ 23

सत्र 6 - स्वस्थ विवाह में सहभागियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुनर्परिभाषित करना पृष्ठ 28

मॉड्यूल III: सामाजिक लिंग आधारित हिंसा समाप्त करना पृष्ठ 31

सत्र 7 - लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना पृष्ठ 32

सत्र 8 - सुरक्षित स्थान एवं असुरक्षित स्थान पृष्ठ 35

मॉड्यूल IV: बेटियों को अहमियत देना पृष्ठ 37

सत्र 9 - सामुदायिक सदस्यों के रूप में महिलाओं का योगदान पृष्ठ 38

सत्र 10 - महिलाओं की घटती संख्या और इसका प्रभाव पृष्ठ 40

संलग्नक पृष्ठ 42

संलग्नक 1 - मानव अधिकार क्या हैं? पृष्ठ 43

संलग्नक 2 - लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना पृष्ठ 44

संलग्नक 3 - बाल विवाह में मानव अधिकारो का उल्लंघन पृष्ठ 46

संलग्नक 4 - समाज में महिलाओं का योगदान पृष्ठ 48

संलग्नक 5 - महिलाओं की घटती संख्या और बाल विवाह पर इसके प्रभाव पृष्ठ 50

संलग्नक 6 - सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण पृष्ठ 51

© Breakthrough/India

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)

190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों को बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके जीवन का बचाव और उसके पनपने के लिए कार्य करती है। विकासशील देशों को दुनिया के सबसे बड़े टीका प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा जल एवं सौच सुविधा, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादि शिक्षा तथा हिंसा, शोषण और एड्स से रक्षा करती है। यूनिसेफ पूर्णतया व्यक्तियों, व्यापार संस्थानों और सरकारों द्वारा स्वेच्छा से दिये गए वित्तिय योगदान से पोषित है।

www.unicef.in

/unicefindia
@UNICEFIndia

United Nations Children's Fund, 73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 🖷 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है

जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके।

हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से इन मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

www.inbreakthrough.tv

/BreakthroughIN
@INBreakthrough

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

© UNICEF/India /Vitale

बाल विवाह और सामाजिक लिंग आधारित हिंसा उन्मूलन के लिए किशोरवय के साथ कार्य करना

किशोरियों एवं किशोरों के लिए क्षमता संवर्धन मॉड्यूल का प्रयोग करना

अंतरलैंगिक संवाद: किशोरियों एवं किशोरों के साथ एक साथ कार्य क्यों किया जाए ?

दुनियाभर से अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि सामाजिक लिंग मानकों व व्यवहारों के बदलाव में मिश्रित सामाजिक-लिंग का तरीका बहुत कारगर साबित हो सकता है, खासतौर पर जब इसे हस्तक्षेप के शुरूआती चरणों में जान-बूझकर प्रयोग किया जाए।[1]

किसी ऐसे एकीकृत स्थान की उपलब्धता जो लड़कियों और लड़कों को एक-दूसरे से बात करते हुए, रोल-प्ले करते हुए या विचार साझा करने की अन्य गतिविधियों के ज़रिये सामाजिक लिंग मानकों को चुनौती देने और उनके बारे में चर्चा करने के मौके दे, जैसे कि स्टेपिंग स्टोन्स में और ब्रेकथ्रू के राइट एडवोकेट प्रोग्राम एंड चाइसिस में होता है । इस तरीके को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे भी हो सभी कार्यक्रम गतिविधियों को वही होना चाहिए जो जगह लडकियां और लड़के साझा करते हैं । कार्यक्रम साक्ष्यों से पता चलता है कि ज्यादा कारगर तरीका वो होता है जहां लड़कियों और लड़कों को मुख्य बिन्दुओं पर एक साथ लाया जाता है । कई कार्यक्रमों ने ये पाया है कि एकल-लिंग समूहों में सामाजिक लिंग मानकों के बारे में बात करना ज्यादा आसन होता है, जो एक "सुरक्षित स्थान" मुहैया कराता है, जिसमें बहुत आराम से और खुलकर कई मुख्य विषयों के बारे में बात की जा सकती है, और सामाजिक लिंग और मर्दानगी के कड़े मानकों के बारे में सवाल किए जा सकते हैं, और वहाँ अपने पुरुष या महिला साथियों द्वारा मज़ाक भी नहीं उड़ाया जाता।[2, 3]

इसके अलावा मिश्रित लिंग नियोजन की सफलता के लिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि माहौल झगड़ालू न हो, और सामाजिक लिंग परिवर्तनीय

1 द गर्ल इफेक्टक: व्हॉशट डू ब्वायज हैव टू डू विथ इट? आईसीआरडब्यू मीटिंग रिपोर्ट 2012

2 ए. गुइडीस, एड्रेसिंग जेंडर-बेस्ड वायलेंस फ्राम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ/एचआईवी सेक्टर: ए लिटरेचर रिव्यू एंड एनालिसिस, द पॉपुलेशन टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट; एलटीजी एसोसिएट्स इनकार्पोरेशन, सोशल एंड साइंटिफिक सिस्टम्स, इनकार्पोरेशन, 2004

3 जे. पुलरविज, जी बार्कर जी, एम सेगुंडो और एम नासीमेंटो, प्रोमोटिंग मोर जेंडर इक्वीटेबल नार्म्स एंड बिहैवियर्स एमंग यंग मेन ऐज ऐन एचआईवी/एड्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, होरीजोन्स फाइनल रिपोर्ट, 2006

© Breakthrough/India

व्यवहार के प्रति माहौल सुरक्षित और सहयोग वाला हो। ये बात लड़कियों और महिलाओं के लिए तो खासतौर पर महत्वपूर्ण है जिनके लिए मौजूदा मानकों को, और वो भी लड़कों या पुरुषों की मौजूदगी में चुनौती देना, ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। कई सन्दर्भों में, या कुछ खासतौर पर मुश्किल विषयों के लिए, एकल-लिंग समूहों में चर्चा शुरू करवाना ज्यादा प्रभावी तरीका हो सकता है, खासतौर पर तब, जबकि उसी विषय पर बाद में बड़े मिश्रित-लिंग समूह में भी चर्चा चलायी जाए। नियोजकों को इस बात के प्रति ज्यादा रणनीतिक तरीके से सोचना चाहिए कि कब उन्हें लड़कियों और लड़कों के साथ अलग-अलग कार्य करना है और कब वे उनके साथ इकट्ठे काम कर सकते हैं, ये मानते हुए कि हस्तक्षेप की विषयवस्तु और सन्दर्भ के आधार पर दोनो ही तरह के तरीकों की ज़रुरत होती है।

किशोरियों/किशोरों के लिए यह प्रशिक्षण मॉड्यूल क्यों तैयार किया गया है?

ये प्रशिक्षण मॉड्यूल, कुछ समय तक किशोरियों और किशोरों के साथ अलग-अलग काम करने के बाद उनके सशक्तिकरण के लिए तैयार किया गया है। इसमें उन्हें साथ काम करने को, उनको अपना बनाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। इसके लिए आपको उनके अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी और उन्हें अपने काम के उद्देश्य और लक्ष्यों की ओर प्रवृत करना होगा।

युवा होने और समाज का हिस्सा होने के चलते किशोरियां और किशोर उन निश्चित मानकों और व्यवहारों का अनुसरण करने के आदि होते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।

किशोरियों को बहुत कम उम्र में ही, कई सामाजिक चुनौतियों, जैसे सामाजिक लिंग भेदभाव, बाल-विवाह, किशोरवय गर्भाधान, यौन उत्पीडन और घरेलू हिंसा आदि का सामना करना पड़ता है। कम उम्र में विवाहित महिलाओं से युवा बेटियों की तरह अक्सर युवा माताओं की तरह कुछ निश्चित मानकों और व्यवहारों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। ये प्रक्षिक्षण मॉड्यूल 13 से 18 के आयु वर्ग की ऐसी ही किशोरियों के लिए जिन्हें इस किस्म का खतरा होता है, इन तरीकों से उनका क्षमता संवर्धन करने के लिए बनाया गया है।

- पहला, वे जिन मुद्दों का सामना करती हैं, जैसे मूल अधिकारों की कमी, जिनमें शैक्षिक सुविधायें, आजीविका के मौकों की कमी, जबरन बाल-विवाह, किशोरवय गर्भाधान, और घरेलू हिंसा शामिल हैं, आदि की भयावहता को समझने और स्वीकारने में उनकी मदद करना।
- दूसरे शिक्षा और आजीविका, जीवन साथी के चुनाव, दहेज़ का सामना करने, दुल्हन के तौर पर होने वाली अपेक्षाओं को संभालना, घरेलू हिंसा से लड़ना और बच्चे पैदा करने के दबाव से निपटने और निर्णय लेने और सौदेबाजी कि उनकी क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश करना ।
- तीसरा, चर्चाओं, निष्पक्ष सत्रों और अन्वेषण के लिए माहौल बनाने के ज़रिये उनके अपने भीतर विश्वास व सम्मान पैदा करना और मूल्यों को प्रोत्साहित करना। किशोरियों की बेहतर क्षमता उन्हें एक दूसरे का सहयोग करने में मदद करती है और जिसकी वजह से उनके लिए सुरक्षा और सहयोगी माहौल बनाने में मदद मिल सकती है।

किशोर कुछ निश्चित मानों का अनुसरण करने के आदि होते हैं जो न सिर्फ उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि कई किशोरियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये मानकों का नतीजा अक्सर सामाजिक लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार में निकलता है, जिसमें यौन शोषण, बाल विवाह, किशोरवय गर्भाधान और घरेलू हिंसा शामिल हैं। अप्रत्यक्ष रूप से किशोर भी मर्दानगी और समाज द्वारा प्रस्तारित मानकों के हाथों सत्ये होते हैं। युवा बेटों को बाल विवाहित दुल्हों को, नौजवान पिताओं को अक्सर नौकरी के लिए प्रवास करना पड़ता है, वे खुद को इन स्थितियों से निपटने के लिए कतई तौर पर नाकाफी पाते हैं और इसलिए कुछ सदियों पुराने मानकों व्यवहारों के अनुसार चलने लगते हैं।

ये प्रशिक्षण मॉड्यूल 14 से 20 साल की आयु वर्ग के किशोरों की क्षमताओं को पांच क्षेत्रों में संवर्धित करने के लिए बनाया गया है:

- सामाजिक लिंग व लिंग में अंतर समझना ।
- सामाजिक लिंग व लिंग के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण बनाना व सामाजिक लिंग पक्षपात से लड़ना।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न प्रकारों और अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करना।

- बाल विवाह में उनके अधिकार के उल्लंघन और उसके नतीजे के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- समान विवाहित साथी के तौर पर अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुनर्परिभाषित करना ।
- उनके लिए यौनिक, भावनात्मक या शारीरिक हिंसा के किसी भी रूप के बीच में रहने या उसे देखने को अस्वीकार्य बना देना ।
- लड़कियों को समाज के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर अहमियत देना और सामाजिक लिंग आधारित लिंग चयन से लड़ना ।

यह प्रशिक्षण मॉड्यूल विस्तृत किशोरवय सशक्तिकरण टूलबॉक्स का एक भाग है जिसमें जीवन कौशल प्रशिक्षण, किशोरियों/किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, एनजीओ सहभागियों/अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षक मॉड्यूल और धार्मिक नेताओं, पंचायत सदस्यों, सीएमपीओ और पुलिस एवं माता-पिता जैसे हितधारकों के लिए जोखिम न्यूनीकरण मॉड्यूल तैयार करना शामिल है।

किशोरियों और किशोरों के लिए ये प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाते हुए किन कारकों का ध्यान रखा गया है?

ब्रेकथ्रू और यूनिसेफ द्वारा प्रमाणित ढांचागत शोध अध्ययनों को किशोरियों के मुद्दे और क्षमता संवर्धन जरूरतों को स्थापित करने के लिए सक्रिय तौर पर उल्लेख किया गया। इन रिपोर्टों का संकलन यूनिसेफ और ब्रेकथ्रू के विषय-विशेषज्ञों की विस्तृत चर्चा के द्वारा प्रमाणित किया गया।

मॉड्यूल तैयार करते हुए किशोरियों/किशोरों से संबंधित निम्नलिखित मुख्य मुद्दों और क्षमता संवर्धन जरूरतों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया।

लड़कियां :

- ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाली 13-18 साल के बीच की किशोरियां कम उम्र में शादी हो जाने, भावनात्मक और यौन उत्पीडन युक्त घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कठिन आर्थिक परिस्थितयों के खतरे का सबसे ज्यादा सामना करती हैं।
- वे सीमित शैक्षिक सुविधाओं एवं आजीविका के अवसरों वाले क्षेत्रों में रहती हैं।
- शिक्षा एवं आजीविका के चयन, जीवन साथी चुनने, बच्चे पैदा करने, घर के खर्च का प्रबंध करने आदि में उनके पास निर्णय लेने की क्षमताएं और शक्तियां सीमित होती हैं।
- वे बाल विवाह, दहेज और लैंगिक भेदभाव की सदियों पुराने रीति-रिवाजों के अधीन होती हैं।
- उनसे बेटी/दुल्हन/पत्नी /मां के रूप में महिलाओं की ओर से पुरानी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार चलने की उम्मीद की जाती है।
- उनके भीतर आत्म-मूल्य, आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास बहुत कम होता है
- वे काफी हद तक अपर्याप्त बातचीत कौशल प्रदर्शित करती हैं।

लड़के :

- 14-20 वर्ष के बीच की आयु वाले किशोर स्वयं को एक पुरुष के रूप में साबित करने के लिए दबाव का सामना करते हैं। इस दबाव के कारण युवा किशोर प्राय: उच्च जोखिम और महिलाओं एवं लड़कियों तथा सामाजिक पदानुक्रम में कमजोर माने जाने वाले लोगों और समुदायों के विरूद्ध हिंसक व्यवहार में लिप्तल हो जाते हैं।
- हमारा हस्तक्षेप उन लड़कों पर केंद्रित है जो प्राय: ऐसे वातावरण में पले-बड़े होते हैं जहां यौन शोषण और उत्पीड़न के साथ-साथ घरेलू हिंसा असामान्य बात नहीं है। इसलिए ऐसे मुद्दों के लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ।
- वे काफी हद तक ग्रामीण एवं उपनगरीय समुदायों से संबंधित होते हैं, ये लेकिन वही तक सीमित नहीं हैं ।
- वे, विशेष रूप से लड़कियां, सीमित शैक्षिक सुविधाओं और आजीविका के अवसरों वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं ।
- सामाजिक लिंग और लिंग पर उनके दृष्टिकोण प्राय: पक्षपातपूर्ण होते हैं जो लड़कियों/महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक भेदभाव के छुपे हुए या प्रत्यक्ष रूपों का कारण बनता है।
- वे बाल विवाह, दहेज और बच्चों में लैंगिक पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की सदियों पुरानी रीति-रिवाजों के अनुसार चलते हैं।
- उनसे बेटे/दूल्हे/पति/पिता के रूप में पुरुषों की ओर से पुरानी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की उम्मीद की जाती है।

किशोरियों/किशोरों के प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए पहचान की गयी क्षमता संवर्धन की मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं?

किशोरियों/किशोरों की क्षमता संवर्धन आवश्यकताएं संरचनात्मक अनुसंधान निष्कर्षो और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा अनुभवजन्य अध्ययन से उभर कर सामने आती हैं। किशोरियों/किशोरों के लिए प्रासंगिक सामाजिक लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा का मुकाबला करने के लिए मुख्य क्षमता संवर्धन आवश्यकताएं निम्नानुसार सामने आती हैं:

लड़कियां :

- सामाजिक लिंग एवं लैंगिक भेदभाव को समझना
- यौन शोषण को रोकना
- विवाह का अर्थ समझना
- बेटियों को अहमियत देना
- निर्णय लेने और बातचीत कौशलों का पता लगाना

लड़के :

- सामाजिक लिंग एवं लैंगिक भेदभाव का विश्लेषण करना
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों और इसके प्रभाव तथा अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करना
- मानव-अधिकारों के उल्लंघन के रूप में बाल विवाह की पहचान करना
- स्वस्थ विवाह में सहभागियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुनर्परिभाषित करना

- सामाजिक लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना
- बेटियों को अहमियत देना

क्षमता संवर्धन आवश्यकताओं को निम्नानुसार कार्यक्षेत्रों और अनुक्रमों में बांटा गया है:

सत्र	क्षमता संवर्धन आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण विषय वस्तु	समयावधि
मॉड्यूल 1:	**सामाजिक लिंग एवं लैंगिक भेदभाव को समझना**	**3 घंटे**
सत्र 1	सामाजिक लिंग रूढ़ियाँ	20 मिनट
सत्र 2	अपने जीवन पर सामाजिक लिंग और लिंग के प्रभाव की पहचान करना	30 मिनट
सत्र 3	हिंसा और अधिकार	90 मिनट
सत्र 4	संबंधों में लिंग और सत्ता के बीच की कड़ी	45 मिनट
मॉड्यूल 2	**विवाह एवं संबंध का अर्थ समझना**	**2.15 घंटे**
सत्र 5	बाल विवाह- मानव-अधिकारों का उल्लंघन	90 मिनट
सत्र 6	संबंध/विवाह में सहभागियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुनर्परिभाषित करना	45 मिनट
मॉड्यूल 3	**सामाजिक लिंग आधारित हिंसा समाप्त करना**	**1.30 घंटे**
सत्र 7	लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना	45 मिनट
सत्र 8	सुरक्षित एवं असुरक्षित स्थान	45 मिनट
मॉड्यूल 4	**बेटियों को अहमियत देना**	
सत्र 9	सामुदायिक सदस्यों के रूप में महिलाओं और लड़कियों का योगदान	60 मिनट
सत्र 10	महिलाओं की घटती संख्या और इसका बाल विवाह पर प्रभाव	60 मिनट
	कुल समयावधि	**8.45 घंटे**

उपरोक्त मॉड्यूल किशोरियों/किशोरों के जीवन को रेखांकित करने तथा भविष्य में उनके द्वारा संभावित सामना की जाने वाली कुछ चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास है। इसके अलावा यह उन तरीकों की खोज करता है जिनके द्वारा इन चुनौतियों का किशोरियों/किशोरों के आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयासों के साथ सामना किया जा सकता है।

किशोरियों/किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की अवधि और प्रस्तुत करने का तरीका क्या है?

लड़कियों और लड़कों के क्षमता संवर्धन मॉड्यूल को पूरे 10 सत्रों की कुल 8:30 घंटों की अवधि के लिए तैयार किया गया है। प्रशिक्षण अनौपचारिक कक्षों की व्यवस्था करके, मुख्यत: 20-25 लड़कियों और लड़कों के छोटे छोटे शिक्षार्थी समूहों में अनुदेशक द्वारा दिया जाएगा। सत्र की रूपरेखा तैयार करने में सहभागी प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया गया है। इसमें केस स्टडी, सामूहिक चर्चा और विचार विमर्श, सामूहिक प्रस्तुति और रोल प्ले आदि शामिल है।

इन सत्रों के लिए अनुदेशक को उन स्थानीय सहयोगी एनजीओ से आए हुए प्रशिक्षकों के समूह को माना गया है जो क्षेत्रीय किशोरवय के मुद्दों से परिचित हैं और बाल विवाह एवं लैंगिक हिंसा के विरूद्ध हस्तक्षेपों को लागू करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

किशोरियों/किशोरों के लिए इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत किस तरह से सत्र संचालित किए जा सकते हैं?

इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत सत्र संचालित करने के लिए इन सरल चरणों का पालन किया जा सकता है:

- सत्र योजनाओं को देखें और संचालित किया जाने वाला सत्र चुनें।
- सत्र योजना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सत्र संचालित करने के लिए जरूरी सामग्री और आवश्यक तैयारी के बारे में सावधानी से नोट बनाएं। इसमें आमतौर पर शिक्षार्थी हैंड आउट (अनुलग्नक में दिए गए) की फोटो कॉपी तैयार करना, अनुदेशक नोट्स समझना या स्थानीय जानकारी से इसे अपडेट करना और समूह गतिविधियों के लिए कोई अन्य सामग्री एकत्र करना शामिल होगा।
- फिर, उद्देश्यों, कार्यपद्धतियों/चरणों, मुख्य चर्चा बिंदुओं और अनुदेशक नोट्स पढ़ें और सुनिश्चित करें कि उन्हें भली भांति समझ लिया गया है। याद रखें कि यह मॉड्यूल सिर्फ एक दिशानिर्देश है और इसे उपलब्ध समय, शिक्षार्थी प्रोफाइल और बदलती प्रशिक्षण विषय वस्तुओं के आधार पर तत्काल प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यह अत्यधिक अनुशंसित है कि प्रशिक्षण चरणों वाला एक छोटा नोट तैयार किया जाए जो सत्र आयोजित करते समय चर्चा सूची/संकेत प्रदान कर सके।
- किशोरियों और किशोरों के समूहों के साथ सत्र आयोजित करने के लिए शिक्षार्थी हैंड आउट, समूह गतिविधि सामग्री और छोटा प्रशिक्षण नोट ले जाएं।

किशोर लड़कियों और लड़कों के लिए क्षमता निर्माण मॉड्यूल के तहत सत्र योजनायें

मॉड्यूल I : सामाजिक लिंग और लैंगिक भेदभाव को समझना

सत्र

1

20 मिनट

सामाजिक लिंग रूढ़िबद्धता

आवश्यक सामग्री

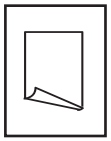

फ्लिप चार्ट

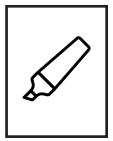

मार्कर पेन

उद्देश्य:

- क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में किशोरियों और किशोरों का स्वागत करना और परिचय देना
- उन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पहचान करना जिनकी समाज आमतौर पर पुरुषों के रूप में लड़कों से और महिलाओं के रूप में लड़कियों से उम्मीद करता है
- सहभागियों की यह समझने में मदद करना कि सामाजिक 'मानदंड' और अपेक्षाएं सामाजिक लिंग रूढ़ियों को किस प्रकार बढ़ावा देती हैं
- मॉड्यूल के तहत निम्नलिखित सत्रों के लिए विषय वस्तु निश्चित करना

सशक्तिकरण केंद्र: सामाजिक-सांस्कृतिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक

1 क्रियाविधि :

- सहभागियों का अभिवादन करें और अपना परिचय दें।
- उनसे कोई भी इच्छित संख्या जैसे 2, 14, 20, 500 आदि को जोर से बोलने और उसके अनुसार बढ़ते हुए क्रम के बैठने के लिए कहें। उन लड़कियों से जो पहले छोटी संख्याएं बोलती हैं, शुरूआत करते हुए बाद में बड़ी संख्याएं बोलने वाली लड़कियों के साथ समाप्त करें ।
- अब, जोड़े बनाएं और निम्नलिखित जानकारी के आधार पर उनसे एक दूसरे को परिचय देने के लिए कहें:
  - » आपका नाम, शिक्षा, निवास स्थान
  - » आप अपने परिवार में लड़कों, पुरुषों के बारे में कौन से दो गुण पसंद करती हैं?

» आप अपने परिवार में लड़कियों, महिलाओं के बारे में कौन से दो गुण पसंद करती हैं?

- एक दूसरे के साथ चर्चा करने के लिए उन्हें 3-4 मिनट का समय दें
- सहभागियों को एक एक करके आगे आने और अपने सहभागियों को परिचय देने के लिए आमंत्रित करें।
- चार्ट पेपर पर निम्नलिखित प्रारूप में गुणों को लिखते रहें:

लड़कों और पुरुषों से अपेक्षित गुण (उदाहरण)	लड़कियों और महिलाओं से अपेक्षित गुण (उदाहरण)
कठोर परिश्रम	ध्यान रखने वाला
बहादुरी इत्यादि	अच्छा भोजन बनाना आदि

- परिचय के लिए सभी सहभागियों को धन्यवाद दें और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें।

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- क्या आप यहां कोई पैटर्न देखते हैं?
- हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़कियों और लड़कों में ये विशिष्ट गुण होने चाहिए?
- क्या आपको लगता है कि हम सभी में उपरोक्त सभी गुण हो सकते हैं?
- इन रूढ़ियों के कारण एक लड़का या एक पुरुष किन दबावों का सामना करता है?
- इन रूढ़िबद्धताओं के कारण एक लड़की या एक महिला किन दबावों का सामना करती है?
- लड़कियों/महिलाओं और लड़कों/पुरुषों पर इन रूढ़ियों का क्या प्रभाव हो सकता है?

3 अनुदेशक के नोट्स :

समाज हमसे महिलाओं या पुरुषों के रूप में एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की उम्मीद करता है। विपरीत लिंग या अपने स्वयं के लिंग के साथ बातचीत करते समय हम अपने लिए सीमाएं निश्चित करते हैं। हमारी परवरिश और समाजीकरण हमें सामाजिक 'मानदंडों' के अनुरूप बने रहना सिखाते हैं जो सामाजिक लिंग रूढ़ियों का कारण बनते हैं और किशोरियो द्वारा अपने जीवन में सामना किए जाने वाले अनेक मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल इनमें से कुछ प्रासंगिक मुद्दों जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा और यौन शोषण के साथ-साथ अन्य समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है।

हॉलाकि हम सब इस बात से परिचित है कि ये गुण हम सब में है और समय आने पर इसका प्रदर्शन कर सकते हैं।

सत्र

2

30 मिनट

अपने जीवन पर सामाजिक लिंग और लिंग के प्रभाव की पहचान करना

आवश्यक सामग्री

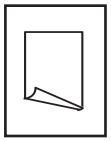

फ्लिप चार्ट

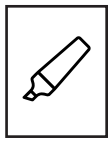

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- लिंग और सामाजिक लिंग के बीच अंतर करने में किशोरवय की सहायता करना
- सदियों पुराने सामाजिक अनुकूलनों के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी पुरुष एवं महिलाओं की भूमिकाओं का विश्लेषण करने और उन्हें चुनौती दने के लिए सहभागियों को प्रोत्साहित करना
- सहभागियों की उन सामाजिक लिंग परिभाषित भूमिकाओं की पहचान में मदद करना जो विकास के संसाधनों और जिम्मेदारियों, और निर्णय लेने की क्षमता को घटा देती हैं ।

सशक्तिकरण केंद्र: सामाजिक-सांस्कृतिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; मनोवैज्ञानिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र 1 के सामाजिक लिंग रूढ़ियाँ अभ्यास को याद करें जहां समूहों ने पुरुषों और महिलाओं में कुछ सामान्य स्वीकार्य गुणों की पहचान की थी। इसमें यह भी चर्चा की गयी थी कि हम सभी जीवन द्वारा प्रदान की गयी स्थिति के आधार पर सभी गुणों को धारण करने में सक्षम हैं।
- सामाजिक लिंग रूढ़ियाँ को जारी रखते हुए सामाजिक लिंग और लिंग को समझने के रूप में सत्र के विषय की घोषणा करें जहां हम पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गयी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निश्चित 'मानदंडों' को चुनौती देने का प्रयास करेंगे। इससे समाज में लड़कियों/महिलाओं को दिए गए सीमित अधिकारों और सुविधाओं के पीछे के कारणों को समझने में भी मदद मिलेगी।

- सहभागियों के लिए निम्न तालिका बनाएं और उसकी व्याख्या करें:

लिंग	सामाजिक लिंग
जैविक है	सामाजिक रूप से निर्मित है
आप इसके साथ जन्म लेते हैं	यह सीखा जाता है
परिवर्तित नहीं किया जा सकता (शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना)	यह परिवर्तित किया जा सकता है।
स्थायी है	सामाजिक लिंग भूमिकाएं अलग अलग समाजों, देशों, संस्कृतियों और ऐतिहासिक कालों में भिन्न भिन्न होती हैं

- अब निम्नलिखित कथन पढ़ें और सहभागियों से यह पहचान करने के लिए कहें कि कथन 'लिंग' पर आधारित है या 'सामाजिक लिंग' पर। सहभागी इच्छानुसार क्रम में उत्तर दे सकते हैं लेकिन लिंग और सामाजिक लिंग चार्ट तालिका से उचित कारणों के साथ उन्हें अपने उत्तरों का समर्थन करने की भी जरूरत है। साथ ही अंत में, नीचे कोष्ठक के भीतर उल्लेख किए गए रूप में सही उत्तर प्रदान करें।
  - महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, पुरुष नहीं। (लिंग)
  - छोटी लड़कियां कोमल होती हैं, लड़के सख्त होते हैं। (सामाजिक लिंग)
  - भारतीय कृषि श्रमिकों के बीच, महिलाओं को समान कार्य आउटपुट के लिए पुरुषों की मजदूरी का 40-60 प्रतिशत भाग भुगतान किया जाता है। (सामाजिक लिंग)
  - महिलाएं शिशुओं को स्तनपान करा सकती हैं, पुरुष शिशुओं को बोतल से दूध पिला सकते हैं। (लिंग; सामाजिक लिंग)
  - महिला कार्य कर रही हो तब भी उसे घर का ध्यान रखना चाहिए। (सामाजिक लिंग)
  - भारत में व्यवसाय करने वाले लोग ज्यादातर पुरुष हैं। (सामाजिक लिंग)
  - मेघालय में, महिलाएं उत्तराधिकारी हैं और पुरुष नहीं। (सामाजिक लिंग)
  - यौवनारंभ पर पुरुषों की आवाज फट जाती है, महिलाओं की नहीं। (लिंग)
  - 224 संस्कृतियों के एक अध्ययन में, 5 संस्कृतियां ऐसी थी जिसमें पुरुषों ने सभी तरह का भोजन बनाया, और 36 संस्कृतियां ऐसी थी जिसमें महिलाओं ने समस्त गृह निर्माण कार्य किया। (सामाजिक लिंग)
  - भूमिगत खनन जैसी खतरनाक नौकरियों में महिलाओं का कार्य करना वर्जित है। (सामाजिक लिंग)
  - यूएन के आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं दुनिया भर के काम का 67 प्रतिशत काम करती हैं, फिर भी उनकी आमदनी दुनिया की आय का केवल 10 प्रतिशत भाग है। (सामाजिक लिंग)

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- यदि गैर जैविक गुण सामाजिक लिंग में समान हो सकते हैं तो भेदभाव क्यों होता है?
- हमारा सामाजिक लिंग किस तरह से हमारे अधिकारों की संतुष्टि को प्रभावित करता है? क्या यह अधिकारों के उल्लंघन को और अधिक वेदनीय बना सकता है? (अनुदेशक पुरुषों और महिलाओं के बीच भूमिकाओं में अंतर तथा घूमने फिरने की आजादी, शैक्षिक अवसर, राजनीतिक अधिकार पर प्रतिबंधों, परिवार के सदस्यों की देखभाल और पोषण के लिए जिम्मेदारियों में अंतर पर विचार कर सकते हैं)।

3 अनुदेशक के नोट्स :

- 'प्रकृति और हमारा जीवविज्ञान' लोगों में पाए जाने वाले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लक्षण निर्धारित नहीं करता। यह केवल इस बात का निर्धारण करता है कि आप नर या मादा के रूप में पैदा हुए हैं। लिंग और सामाजिक लिंग के बीच का अंतर हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह हमारे घरों, समुदायों और समाज में मौजूद भेदभाव तथा पॉवर प्ले के जटिल रूपों से अवगत होने में उपयोगी है। निश्चित भूमिकाएं निभाने या आपसे कुछ अपेक्षाएं रखने के कारण आपका सामाजिक लिंग आपके अधिकारों की संतुष्टि को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, उस संस्कृति में जहां परिवार में महिलाओं से पुरुषों के निर्णयों पर प्रश्न न उठाने की उम्मीद की जाती है, वहां उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है और उनके साथ हिंसा भी की जा सकती है, इस प्रकार हिंसा से मुक्त जीवन जीने के लिए उनके अधिकारों को जोखिम में डाल दिया जाता है।
- भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सामाजिक मानदंडों, धार्मिक प्रतिबंधों, पारिवारिक संस्कृति और कानूनी तौर पर अनुमोदित अधिकारों द्वारा कई वर्षों में सामाजिक तौर पर बनायी गयी हैं। वास्तव में, सभी कार्य सभी लोगों - महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किए जा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों को मुक्त गतिशीलता द्वारा समर्थित समान संसाधन और निर्णय लेने की सामान शक्तियां प्रदान की गयी हों। हालांकि, समाज हमारे लिए कृत्रिम अवरोध उत्पन्न करता है। एक लड़की के बारे में सदैव यह माना जाता है कि यह परिवार से दूर चली जाएगी और इसलिए परिवार की आय में योगदान नहीं करेगी। लड़के की शिक्षा को परिवार की भावी जरूरतों के लिए निवेश के रूप में देखा जाता है।

सत्र

3

90 मिनट

हिंसा और अधिकार

आवश्यक सामग्री

व्हाइट बोर्ड

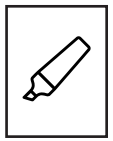

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- हिंसा के रूपों और इससे प्रभावित होने वाले लोगों की पहचान करना और उनकी सूची बनाना
- महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा के प्रभाव का विश्लेषण करना
- हिंसा के कारण उल्लंघन किए गए अधिकारों की पहचान करना और उनकी सूची बनाना

सशक्तिकरण केंद्र : सामाजिक सांस्कृतिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; मनोवैज्ञानिक; आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- घर पर और बाहर जैसे सड़कों, बाजार, कार्य स्थलों आदि पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और हिंसा के बारे में सहभागियों से उत्तर प्राप्ति करें।
- सहभागियों को 4 या 5 सदस्यों वाले समूहों में विभाजित करें।
- सहभागियों से अपने समूहों में महिलाओं या लड़कियों के विरूद्ध होने वाली हिंसा के एक रूप की पहचान और चर्चा करने के लिए कहें।
- उन्हें समूह के सभी सदस्यों जो भिन्न् भिन्न् पात्र हो सकते हैं और वे खुद के और अपने आस पास मौजूद प्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं, उनकी

सहायता से इस हिंसा को एक पोस्टर के रूप में प्रदर्शित करना है। किसी भी तरह की चर्चा वर्जित है।

- समूहों को अपने अपने चित्र सबसे बड़े समूह के सामने प्रस्तुत करने हैं - इस समय चर्चा न करें केवल दर्शकों से यह पहचान करने के लिए कहें कि दृश्य में क्यो हो रहा है, प्रस्तुतकर्ताओं के साथ जांच करें कि क्या दर्शक ने उनके पोस्टर को सही तरह से समझ लिया है और इसके बाद अगले समूह से प्रस्तुति के लिए कहें।
- नीचे दर्शाए गए रूप में व्हाइट बोर्ड पर तालिका बनाएं, और प्रत्येक कॉलम को पहली पंक्ति में दर्शाए गए रूप को चिन्हित करें। उसके बाद, उनके द्वारा देखे गए प्रत्येक पोस्टर थिएटर के लिए कॉलमों के आधार पर सहभागियों से उत्तर प्राप्त करें। जहां तक संभव हो विस्तारपूर्वक चर्चा करें और फिर अगले पोस्टर पर जाएं और आगे वह बताएं जो छूट गया हो।
- तालिका की विषय-वस्तुओं का सार प्रस्तुत करते हुए तथा यह उल्लेख करते हुए कि ज्यादातर मामलों में कितनी महिलाएं प्रभावित हुईं, ज्यादातर हिंसा उन लोगों द्वारा की गयी जिन्हें वे जानती हैं या जो उनके सबसे करीब हैं और उन पर इसका किस हद तक असर पड़ा, सत्र समाप्त करें।

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- यह तालिका आपको क्या बताती है?
- इन सभी मामलों में प्रभावित व्यक्ति कौन है?
- अधिकांश मामलों में हिंसा करने वाले कौन हैं? क्या वे प्रभावित व्यक्ति के जानकार है?
- प्रभावित व्यक्ति पर प्रभाव के प्रकार क्या हैं?
- इन सभी घटनाओं में सामान्य कारक क्या हैं?

हिंसा की घटना क्या थी	हिंसा के रूप क्या थे	हिंसा का किसने सामना किया था	हिंसा करने वाला कौन था	हिंसा झेलने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा	इस व्यक्ति के किन अधिकारों का उल्लंघन किया गया है
समूहों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घटनाएं होंगी उदाहरण बस, बाजार में यौन उत्पीड़न, घर पर घरेलू हिंसा, अस्पताल में लैंगिक पक्षपातपूर्ण लिंग चयन, शिक्षा की उपलब्धता में लैंगिक भेदभाव आदि	ये शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, यौन आदि होंगे	ये महिला, बच्चे, उनके माता-पिता आदि होंगे	यहां कई उत्तर हो सकते हैं जैसे सास-ससुर, पति, पड़ोसी, माता-पिता, आदि	इसका उत्तर होगा जैसे उसकी आवाजाही में बाधा, सलामती और सुरक्षा को खतरा, आत्मसम्मान में कमी आदि	इस कॉलम में कई अधिकार होंगे- स्वकतंत्रता, समानता का अधिकार आदि जिनकी सहभागी पहचान करते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो अनुदेशक उन अधिकारों की जांच करेगा जो शायद छूट गए हों।

3 अनुदेशक के नोट्स :

हिंसा के ज्यादातर मामलों में, महिला/लड़की, उसके परिवार के सदस्य और उसके बच्चे प्रभावित होते हैं। ये लोग पूरी तरह से असुरक्षित हैं क्योंकि सामाजिक रूप से उनका दूसरा दर्जा होने के कारण उन्हेंस 'कमजोर' के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, घटनाओं के अधिकांश मामलों में, उल्लंघन करने वाला/ अपराधी वह होता है जो महिला को जानता है या उससे संबंधित है। उसका खुद का घर या निवास उसके लिए असुरक्षित बन जाता है, और अन्य जगहों पर सलामती एवं सुरक्षा पाने के उसके अवसर और सम्भावनाएं कम हो जाती हैं। इससे अस्थिरता बढ़ जाती है और आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह गरिमा, सुरक्षा और हिंसा से स्वतंत्र जीवन जी सकती है, आवश्यक सेवाओं और देखभाल तक उसकी पहुंच घट जाती है।

सत्र

4

45 मिनट

संबंधों में लिंग और सत्ता के बीच की कड़ी

आवश्यक सामग्री

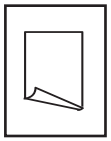

फ्लिप चार्ट

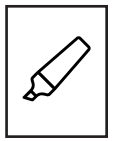

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- संबंधों और निर्णय लेने में शक्ति की भूमिका को परिभाषित करने में किशोरियों/किशोरों की सहायता करना
- हीनता की भावनाओं को दूर करने और अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करने के लिए सहभागियों को प्रोत्साहित करना
- सहभागियों की यह विश्लेषण करने में मदद करना कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग दुर्व्यवहार को बढ़ावा देता है

सशक्तिकरण केंद्र : सामाजिक-सांस्कृतिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; मनोवैज्ञानिक; आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्य की घोषणा करें।
- ये बताएं कि लड़कियों के रूप में लिंग आधारित समस्याओं के प्रति जागरूक रहना अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह पहली बार स्व्यं के साथ शुरूआत करने की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करने में सक्षम होने के लिए उतना ही महत्वहपूर्ण है। यह सत्र ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कदम- व्यापक स्तर पर परिवार और समुदाय में लड़कियों द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं और प्रेरक भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को बेहतर बनाने के लिए शक्ति का उपयोग करना, के बारे में बताता है।
- चार्ट पर 'सत्ता' शब्द लिखें और सहभागियों से उसकी एक शब्द में

व्याख्या करने के लिए कहें जो वे इस शब्द से समझते हैं। सहभागियों के सभी उत्तर लिखें और जानकारी का सार प्रस्तुत करें।

- इसके बाद, निम्न संबंधों को चार्ट पेपर पर लिखें। सहभागियों से प्रत्येक संबंध में जहां अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ने शायद मदद की हो या दूसरे को नुकसान पहुंचाया हो, से संबंधित परिस्थितियों को याद करने और उनका वर्णन करने के लिए कहें। साथ ही उनसे यह विश्लेषण करने के लिए कहें कि संबंधों में शक्तिशाली व्यक्ति ने प्रत्येक स्थिति में अपनी शक्ति कहां से प्राप्त की?

संबंध	कौन शक्तिशाली है?	क्यों?
पिता और पुत्री	पिता	उम्र में बड़े है। पैसा कमाते हैं। शारीरिक रूप से मजबूत हैं।
पिता और मां		
शिक्षक और छात्र		
कक्षा मॉनीटर और छात्र		
भाई और बहन		
दादी और मेरी मां		

- इसके बाद, स्पष्ट करें कि सत्ता अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं है। यह मदद या नुकसान पहुंचाती है, इसका निर्धारण इसके प्रयोग या दुरुपयोग किए जाने पर निर्भर करता है। यदि सत्ता का नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है तो यह उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है जिसके खिलाफ इसका प्रयोग किया गया है और अपने संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। संबंधों में दुर्व्यवहार और उत्पीड़न सदस्यों के बीच शक्ति में असंतुलन के कारण होता है।
- बाद में, अनुदेशक नोट्स में बताए गए अनुसार सत्ता के इन चार प्रकार की विस्तार से व्याख्या करें:
  - लोगों से अधिक सत्ता
  - लोगों या किसी प्रणाली से कम सत्ता
  - समान सत्ता
  - आंतरिक सत्ता

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- क्या संबंधों में सत्ता एक नकारात्मक लक्षण या पहलू है?
- संबंधों में दुर्व्यवहार क्यों होता है?
- हम ऐसा क्यों मानते हैं कि लड़कियों/महिलाओं की तुलना में लड़के/पुरुष अधिक शक्तिशाली होते हैं?
- क्या किसी स्थिति में संबंध में दुर्व्यवहार कर रहे कम शक्तिशाली व्यक्ति को शक्तिशाली व्यक्ति की तरह ही समान रूप से दोषी ठहराया जा सकता है?
- संबंधों और निर्णय लेने में बेहतर सत्ता संबंधों के लिए लड़कियों/महिलाओं द्वारा कौन से प्रयास किए जा सकते हैं?

3 अनुदेशक के नोट्स :

सत्ता अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती। यह मदद या नुकसान पहुंचाती है, इसका निर्धारण इसके प्रयोग या दुरुपयोग किए जाने पर निर्भर करता है। यदि शक्ति का नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है तो यह उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है जिसके खिलाफ इसका प्रयोग किया गया है और अपने संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

आमतौर पर, संबंधों और निर्णय लेने को परिभाषित करने में सत्ता के तीन रूपों का अनुपालन किया जाता है जो किशोरियों के मामले में अधिक प्रासंगिकता रखते हैं:

- लोगों से अधिक सत्ता- हम सभी के पास अपने आसपास के लोगों से अधिक सत्ता होती है क्योंकि हमारे पास वे संसाधन है या उन संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं जो उनके पास नहीं हो सकते हैं। उदाहरण- पिता शक्तिशाली होता है क्योंकि वह अपनी कमाई से सभी संसाधन उपलब्ध कराता है।
- लोगों या किसी प्रणाली से कम सत्ता- यह सत्ता तब प्राप्त होती है जब हम किसी को सर्वशक्तिमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनकी ओर से शक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण - मां का लाड़ला पुत्र अपनी बहनों को गलत तरीके से धौंस दिखा सकता है। हम पिछले कई वर्षों से समाज में स्थापित किए गए निर्धारित मानदंडों और प्रथाओं से भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण- सास-ससुर या बड़ों, धार्मिक प्रमुखों का सम्मान करना आदि।
- समान सत्ता- यह सत्ता आपसी समझ के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी सदस्यों से प्राप्त की जाती है। उदाहरण- सहकारी संस्था, एनजीओ, सहयोगी और कुछ मामलों में प्रगतिशील परिवार।
- आंतरिक सत्ता- यह सत्ता स्वः प्रेरित है और प्राय: परिवर्तन कर्मकों में देखी जाती है जैसे कि अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा में समर्थन करने वाले माता-पिताओं के साथ मानदंडों और परम्पराओं को तोड़ने वाले लड़कियां और लड़के आदि।

हमारे पास इन सत्ता समीकरणों के आधार पर संबंधों को परिभाषित करने और विकल्प चुनने की शक्ति है।

हमारी सामाजिक लिंग पहचान परिभाषित करती है कि समाज के भीतर हमारे पास कितनी सत्ता है। परिणामस्वरूप यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी आदि जैसे संसाधनों और अधिकारों तक हमारी पहुंच को प्रभावित करता है। आमतौर पर, पुरुषों ने समाज द्वारा स्थापित लिंग समीकरणों के कारण अधिक संसाधनों को उपयोग किया है, और इसलिए वे अधिक सत्ता का उपयोग करते हैं। शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों द्वारा लड़कियां भी सत्ता के उपयोग में वृद्धि कर सकती हैं।

© Breakthrough/India

मॉड्यूल II : विवाह और संबंध का निहितार्थ समझना

सत्र

5

90 मिनट

बाल विवाह- मानव-अधिकारों का उल्लंघन

आवश्यक सामग्री

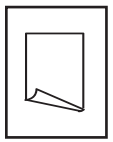
फ्लिप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 3: बाल विवाह में मानव अधिकारों का उल्लंघन

संलग्नक - संलग्नक 1 : मानव-अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की प्रतियां

संलग्नक - संलग्नक 2: बाल विवाह में मानव अधिकारों का उल्लंघन की प्रति से अच्छी तरह से फाड़ी गयी कागज की पर्ची के चार टुकड़े

उद्देश्य :

- मानव-अधिकारों और बाल अधिकारों के महत्व की पहचान करना।
- भेदभाव के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों के महत्व की पहचान करना।
- बाल विवाह के माध्यम से मानव-अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है, इस का पता लगाना
- "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006" (पीसीएमए) के तहत प्रावधानों की सूची बनाना

सशक्तिकरण केंद्र : सामाजिक-सांस्कृतिक; पारिवारिक/ अंतर्वैयक्तिक; मनोवैज्ञानिक; आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्य की घोषणा करें।
- अनुलग्नक- भाग 1: मानव-अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की प्रतियां वितरित करें और सहभागियों से इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए कहें । अनुलग्नक की प्रति की सहायता से, खासतौर पर इन मानव अधिकारों के अर्थ की चर्चा करें:
  - जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार
  - यातना से मुक्ति
  - निष्पक्ष सुनवाई
  - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  - धर्म की स्वतंत्रता
  - स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन का योग्य मानक

- इसके बाद, अनुदेशक नोट्स की सहायता से मानव अधिकारों को बनाए रखने में भेदभाव के खिलाफ बाल अधिकारों और महिला अधिकारों के महत्व की चर्चा करें। स्पष्ट करें कि किशोरवय को अधिकारों के सभी रूपों का ज्ञान और समझ उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है और उनके लिए सम्मानजनक एवं सार्थक जीवन सुनिश्चित कर सकता है।
- फिर, वर्तमान सत्र का उद्देश्य स्पष्ट करें जो बाल विवाह के परिणामस्वरूप मानव अधिकारों के उल्लंघन पर विचार करने का प्रयास है।
- अब, निम्न तालिका की रूपरेखा बनाएं और प्रत्येक पंक्ति बनाम कॉलम के तहत लड़कों से उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें। पंक्तियां विभिन्न मानव अधिकारों को दर्शाती हैं जबकि कॉलम इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले बाल विवाह के माध्यम से निहितार्थ दर्शाता है।

  कृपया स्पष्ट करे कि बाल विवाह और इससे संबंधित कुप्रथाओं जैसे कि यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज, शिशुओं में सामाजिक लिंग आधारित लिंग चयन आदि में लड़के भले ही सक्रिय या निष्क्रिय अपराधकर्ता हों, फिर भी उन्हेंद परिणाम भुगतना ही पड़ता है। आमतौर पर ये परिणाम कानून और अनुचित सामाजिक संस्कारों की अज्ञानता के कारण कानूनी अरक्षितता, अशिक्षा, परिवार की मदद करने के लिए शीघ्र ही रोजगार में प्रवेश करना, जीवन की खराब गुणवत्ता आदि के रूप में होते हैं।

  कुछ अपेक्षित उत्तर नीचे दिए गए हैं:

मानव-अधिकार	बाल विवाह के माध्यम से लड़कों के अधिकारों का उल्लंघन
जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार	बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों, बहुत जल्दी आजीवन संबंध में बंध जाने के कारण खेल और अवकाश का समय कम हो जाता है
निष्पक्ष सुनवाई	ज्ञान की कमी और गलत सामाजिक संस्कार विभिन्न महिला संरक्षण कानूनों के तहत दंडित किए जाने के लिए उत्तारदायी होने के जोखिम का कारण बनता है-
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए)	
घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्यू डीवीए)	
भारतीय दंड संहिता- बलात्कार की सजा (अनुच्देद 376)	
किशोर न्याय अधिनियम (जेजे अधिनियम) 2000, 2006 में संसोधन	
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012	
आईपीसी- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A घरेलू हिंसा के मामले में आपराधिक शिकायत की व्यवस्था करती है।	
कम उम्र में गर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994	
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	सामाजिक अनुबंध के कारण जल्दी शादी होने या माता-पिता बनने से अभिव्यक्ति और निर्णयों पर विचार नहीं किया जाता है
धर्म पालन की स्वतंत्रता	वर्ष के किसी शुभदिन पर विवाह होना, पुजारियों पर पैसा खर्च करना जैसी धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने के लिए मजबूर करना
स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन का योग्य मानक	बाल विवाह द्वारा प्रेरित गरीबी के चक्र के कारण न चाहते हुए भी सामाजिक लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन में भाग लेना, घर से दूर प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करते समय असुरक्षित यौन व्यवहार के कारण एचआईवी होना, स्वयं और परिवार के लिए उचित पोषण/ चिकित्सा सुविधाओं में कमी जैसे कि किशोरवय गर्भाधान, शिशु मृत्यु दर, बच्चों में कुपोषण आदि

- अब, सहभागियों को चार समूहों में बांटें। अनुलग्नक- भाग 3: बाल विवाह में मानव अधिकारों का उल्लंघन की प्रति से अच्छी तरह से फाड़ी गयी पर्ची की सहायता से प्रत्येक समूह के लिए केस स्टडी निर्दिष्ट करें।
- उनसे अपने समूहों में नीचे उल्लेख की गयी प्रत्येक कहानी के दो प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करने के लिए कहें। उन्हें 20 मिनट का समय दें। यदि आवश्यक हो तो वे लिखित नोट्स बना सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने सौंपे गए कार्य को समझ लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं। साथ ही, चर्चा में योगदान करने के लिए चुप बैठे सहभागियों को प्रोत्साहित करें।
- इसके बाद, प्रत्येक समूह से पास आने और प्रत्येक केस स्टडी के दोनों प्रश्नों पर अपने विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने के लिए कहें।
- उनके प्रस्तुत किए गए विचारों को नीचे दर्शाए गए रूप में विभिन्न श्रेणियों में लिखते रहें। कुछ अपेक्षित सामान्य बिंदुओं का यहां उल्लेख किया गया है। आवश्यकता अनुसार आप सूची में कुछ और बिंदुओं को जोड़ सकते हैं।

शिक्षा एवं बाल विवाह	स्वास्थ्य एवं बाल विवाह	हिंसा एवं बाल विवाह	विकल्प का अधिकार और बाल विवाह
उल्लंघन किए गए अधिकार:			
शिक्षा का अधिकार	शिक्षा का अधिकार	शिक्षा का अधिकार	शिक्षा का अधिकार
लाभदायक रोजगार का अधिकार	साथी चुनने का अधिकार	अपनी बेटियों को संरक्षण/सुरक्षा प्रदान करने के लिए माता-पिता का अधिकार	उन मूल्यों का अधिकार जो बच्चों को अपनी शिक्षा का उपयोग करना सिखाते हैं
प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के चुनाव का अधिकार	प्रजनन विकल्पों का अधिकार	प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य विकल्प का अधिकार दहेज की मांग का विरोध करने का अधिकार	निर्णय लेने का अधिकार जैसे दो अजनबियों की शादी की जा रही हो
	पोषण एवं देखभाल का अधिकार स्वास्थ्य तथा उपचार एवं देखभाल तक पहुंच का अधिकार वित्तीय सुरक्षा का अधिकार घर से बाहर काम करने/पैसा कमाने का अधिकार		
प्रभाव			
शिक्षा बीच में छोड़ देना	पति से संक्रमित होन के बावजूद भी एचआईवी के लिए लड़कियों को दोषी ठहराना	शारीरिक, अध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और आघात	शिक्षा बीच में छोड़ देना
खराब आर्थिक स्थितियां	खराब स्वास्थ्य	यौन शोषण/उत्पीड़न। यदि विवाहित जोड़ों के बीच जोर-जबरदस्ती, बल प्रयोग करके और बिना सहमति के यौन संबंध बनाया जाता है तो यह वैवाहिक बलात्कार कहलाता है	कोई कौशल न हासिल कर पाना
बच्चों और परिवार की देखभाल करने में कठिनाईयां	लड़की के हाथ मे कोई संसाधन न होना		संसाधनों का सीमित उपयोग
परिवार, विशेषकर महिलाएं और उनकी बेटियों का कुपोषण	सास-ससुर के घर से भगा दिए जाने पर परिवार के महिला सदस्य जैसे बहन/दोस्त को आश्रय की कमी का सामना करना पड़ता है और मातापिता के घर में भी शरण नहीं मिलती है		हिंसा का जोखिम
लड़कियों के खिलाफ लड़कों द्वारा की जाने वाली अप्रत्योक्ष या प्रत्यक्ष हिंसा			अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है
मां द्वारा झेली गयी हिंसा का उसके बच्चों पर प्रभाव			लैंगिक गरीबी चक्र में फंस जाना
अधूरी शिक्षा के कारण कम कैरियर अवसर			
असहायता में वृद्धि			

- सभी चारों प्रस्तुतियों के पूर्ण हो जाने के बाद, समूहों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दें और उनके उत्तरों को बाल विवाह के कारण उत्पन्न अधिकार उल्लंघन की चार श्रेणियों में सार प्रस्तुत करें।
- दूसरे मामले- 'चुनने/निर्णय लेने और बाल विवाह का अधिकार: प्रतिमा और राम' के तहत 'साथ भागने' के मुद्दे को स्पष्ट करें। प्राय:, माता-पिता और समुदाय के सदस्य अंतरजातीय/अंतर्धार्मिक शादियों की अनुमति नहीं देते हैं और बालिग/नाबालिग साथी उनकी इच्छा के विरूद्ध शादी से बचने के लिए भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने परिवार में होने वाली ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास में, बेखबर माता-पिता अपने छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं। तकनीक और लड़कियों की घूमने-फिरने की आजादी ''बिगड़े'' किशोरवय होने के लिए दोषी ठहरायी जाती है लेकिन मुद्दा फोन और तकनीक से संबंधित नहीं बल्कि जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए युवा लोग इनका जिस तरह से उपयोग करते हैं, उससे संबंधित है।
- 'किशोरवय सशक्तिकरण और किशोरवय सशक्तिकरण का समाधान करने के लिए कानूनी और नीतिगत समर्थन' के बारे में जानकारी पुस्तक (प्रोडक्ट 1 में किशोरवय सशक्तिकरण टूलबॉक्स) की प्रतियां वितरित करें और इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करें।
- पीसीएमए कानून के बारे में बताएं- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) बाल विवाह को रोकता है और उल्लंघन के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है। अधिनियम के तहत वह विवाह जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होती है, बाल विवाह माना जाता है। अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं:
  - कानून का किसी भी प्रकार का उल्लंघन गैर जमानती है
  - उल्लंघन करने वालों (दूल्हा और दुलहन पक्ष सहित) या कोई भी जो शादी तय कराने में मदद करता है, के लिए दो वर्ष का सश्रम कारावास या साथ में 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
  - बाल विवाह निषेध अधिकारी को इस तरह के किसी भी विवाह को रोकने और आवश्यक कानूनी कदम उठाने का अधिकार है।

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- पीसीएमए द्वारा प्रस्तुत कानूनी प्रावधानों के तहत किन लोगों को दंडित किया जा सकता है?
- पीसीएमएक के तहत बलपूर्वक/कम उम्र / बाल विवाह को कैसे निरस्त किया जा सकता है?
- बाल विवाह के मामले की रिपोर्ट करने या रोकने के लिए कौन मदद कर सकता है या किससे सम्पर्क किया जा सकता है?
- बाल विवाह को हतोत्साहित करने में मदद करने वाली विभिन्न सरकारी योजनाएं कौन सी हैं?

3 अनुदेशक के नोट्स :

केस स्टडी प्रस्तुतियों और निम्न चर्चाओं से विभिन्न: मुद्दे और वाद-विवाद उभर सकते हैं। हम यहां ये कहानियां सुन सकते हैं कि मातापिता समर्थन के रूप में कार्य नहीं करते हैं और बल्कि सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के विरोधी के रूप में अपने बच्चों को बुरी तरह प्रभावित होने के लिए छोड़ देते हैं। आप यहां बिगड़ते'' किशोरवय और अपने साथी जो समुदाय के लिए अस्वीकार्य हो सकते हैं, के साथ भागने या सहलायन करने में उन्हें प्रोत्सोहित करने के रूप में मोबाइल फोन और तकनीक पर दोषारोपण भी सुन सकते हैं। मुद्दा फोन और तकनीक से संबंधित नहीं बल्कि जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए युवा लोग इनका जिस तरह से उपयोग करते हैं, उससे संबंधित है।

सच तो ये है कि बाल विवाह को एक तरह से मौन स्वीकृति प्राप्त है, के तथ्य पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। हालांकि बाल विवाह के मामले में स्पष्ट कानून मौजूद है, फिर भी वे इस बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक इसका कार्यान्वयन सामुदायिक स्तर पर नहीं होता है।

निम्न में से कुछ या सभी मुद्दों पर चर्चा करना याद रखें:

- बाल विवाह किसी के मानव अधिकारों को रोकने वाला कार्य है।
- बाल विवाह लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को प्रतिबंधित करता है और शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है जिसका उल्लेख यूडीएचआर के खंड 26 में उल्लेख किया गया है।
- बाल विवाह लड़कियों के स्वास्थ्य के अधिकार को कम करता है जो एक महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार भी है और यूडीएचआर के अनुच्छेद 25 में उल्लेख किया गया है।
- यूडीएचआर के अनुच्छेद 23 अर्थात रोजगार का अधिकार और अनुच्छेद 22 अर्थात सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, भी बाल विवाह द्वारा प्रभावित किए जा रहे हैं।
- यूडीएचआर का अनुच्छेद 16, 'स्वतंत्र और पूर्ण सहमति' से शादी करने का अधिकार भी बाल विवाह की गतिविधि से प्रतिबंधित किया जा रहा है क्योंकि नाबालिग लड़की/लड़के में शादी से संबंधित निहितार्थ/जिम्मेदारियों की पहचान करने में परिपक्वता का अभाव होता है।
- मानव अधिकार एक-दूसरे से जुड़े होते हैं इसलिए यह निश्चित है कि बाल विवाह केवल ऊपर उल्लेख किए गए अधिकारों का ही नहीं बल्कि मनुष्य के अन्य सभी अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।
- भारत ने 10 दिसम्बर 1948 में महासभा में यूडीएचआर के पक्ष में वोट दिया। इसलिए भारतीय होने के नाते हम सभी यूडीएचआर में घोषित सभी मानव अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं।

इसके अलावा मानव अधिकारों के नजरिये से, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन (CEDAW) में शामिल है:

- कानून व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों की समानता का सिद्धांत,
- महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए सभी भेदभावपूर्ण कानूनों का समाप्त करना और उन्हें रोकने के लिए जो उचित हो उन कानूनों को अपनाना;
- भेदभाव के खिलाफ महिलाओं की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को स्थापित करना; और

- व्यक्तियों, संगठनों या उद्यमों द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी कृत्यों का उन्मूलन सुनिश्चित करना।

कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉमस् ऑफ डिस्क्रीमिनेशन अगेन्स्ट वुमन (CEDAW) में 30 अनुच्छेद हैं जो लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों और उनके खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए, की व्याख्या करते हैं। हालांकि सभी अनुच्छेद अपरिहार्य हैं, फिर भी जल्दी से समझने के लिए इनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

- अनुच्छेद 1: लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की परिभाषा
- अनुच्छेद 3: बुनियादी मानव अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी
- अनुच्छेद 5: रूढ़ियों पर आधारित भूमिकाएं
- अनुच्छेद 6: मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति
- अनुच्छेद 10: शिक्षा
- अनुच्छेद 11: रोजगार
- अनुच्छेद 12: स्वास्थ्य
- अनुच्छेद 16: विवाह एवं पारिवारिक जीवन

इसी तरह कन्वेंशन ओन राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड (CRC) भी बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और संस्कृति के अधिकार को सुनिश्चित करती है। कन्वेंशन में निर्धारित अधिकारों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है:

- प्रावधान: कुछ वस्तुओं या सेवाओं को हासिल, ग्रहण या उपयोग करने का अधिकार (जैसे नाम और राष्ट्रीयता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आराम और खेल तथा विकलांगों और अनाथों की देखभाल)
- संरक्षण: हानिकारक गतिविधियों और प्रथाओं से परिरक्षित किए जाने का अधिकार (जैसे माता-पिता से अलगाव, युद्ध में नियुक्ति, आर्थिक या यौन शोषण और शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार)
- सहभागिता: बच्चे के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर सुनवाई करने का बाल अधिकार। क्षमताओं का विकास होने पर वयस्क जीवन के लिए तैयारी के रूप में बच्चे के पास समाज की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर बढ़ जाएंगे (जैसे बोलने और राय देने, संस्कृति, धर्म और भाषा की स्वतंत्रता)

सीआरसी में 54 अनुच्छेद हैं जो उपेक्षा और दुर्व्यवहार, जिनका बच्चे सभी देशों में हर दिन विभिन्न स्तरों पर सामना करते हैं, के खिलाफ बच्चों की रक्षा के लिए मानक तय करते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण विचार बच्चे का बेहतर हित है। हालांकि सभी अनुच्छेद अत्यावश्यक है फिर भी जल्दी से समझने के लिए कुछ मुख्य अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

- अनुच्छुेद 1: बच्चे की परिभाषा: 18 वर्ष से कम आयु वाला प्रत्येक मनुष्य जो बच्चे के लिए लागू कानून के अनुसार इससे पूर्व वयस्कता प्राप्त नहीं करता है।
- अनुच्छेद 2: निष्पक्षता
- अनुच्छेद 5: माता-पिता, परिवार, समुदायिक अधिकार और जिम्मेदारियां
- अनुच्छेद 6: जीवन, अस्तित्व और विकास
- अनुच्छेद 19: दुर्व्यवहार और उपेक्षा (परिवार या देखभाल के समय में)
- अनुच्छेद 24: स्वास्थ्य देखभाल
- अनुच्छेद 26: सामाजिक सुरक्षा
- अनुच्छेद 28: शिक्षा
- अनुच्छेद 32: आर्थिक शोषण
- अनुच्छेद 34: यौन शोषण
- अनुच्छेद 35: अपहरण, बिक्री और अवैध व्यापार
- अनुच्छेद 40: किशोर न्याय

किशोरवय द्वारा अधिकारों के विभिन्न रूपों का ज्ञान और समझ उनके सशक्तिकरण का कारण बन सकता है और उनके लिए सम्मानजनक तथा सार्थक जीवन सुनिश्चित कर सकता है। लड़कियों और लड़कों या महिलाओं और पुरुषों के रूप में हम सभी को संतोषप्रद जीवन जीने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। आज के समाज में, हम देखते हैं कि प्राय: महिलाओं और लड़कियों की तुलना में पुरुषों और लड़कों के लिए संसाधन बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि लड़कियों और महिलाओं के पास बेहतर जीवन जीने के लिए समान अवसर और संसाधन हों।

सत्र

6

45 मिनट

स्वस्थ विवाह में सहयोगियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुनर्परिभाषित करना

आवश्यक सामग्री

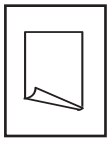

फ्लिप चार्ट

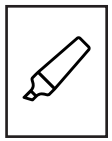

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- स्पष्ट: संदर्भों में विवाह के निष्पक्ष निहितार्थ की पहचान करना
- स्वस्थ: विवाह में विवाहित जोड़ों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान करना

सशक्तिकरण केंद्र: सामाजिक-सांस्कृतिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; मनोवैज्ञानिक; आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्य की घोषणा करें।
- फ्लिप चार्ट पर 'विवाह' शब्द लिखें और इसे जोर से पढ़ें। किशोरों से 'विवाह' शब्द को पढ़ते और सुनते ही उनके मन में तुरंत क्या आता है, जोर से बोलने के लिए कहें। यह किसी भी भावना - खुशी, चिंता या डर से संबंधित हो सकता है।
- अब, उनसे अपनी बहनों, युवा चाची/मौसी या करीबी मित्रों की ओर से इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहें। उनके उत्तरों को फ्लिप चार्ट पर नीचे दर्शाए गए रूप में दो भागों में लिखें और अंत में उनका सार प्रस्तुत करते हुए विचारों को आपस में सम्बद्ध करें। कुछ अपेक्षित उत्तर नीचे दिए गए

	हमारे समाज में लड़कों/पुरुषों के लिए विवाह का अर्थ	हमारे समाज में लड़कियों /महिलाओं के लिए विवाह का अर्थ
सकारात्मक	एक परिवार विवाह की रस्में, दावत, कपड़े	एक परिवार विवाह की रस्में, दावत, कपड़े
नकारात्मक	दहेज सभी अतिरिक्त जिम्मेदारियों को पूरा करने की दिशा में पारिवारिक जिम्मेदारियों और कठिनाइयों का जुड़ जाना पढ़ाई बीच में छूट जाना	प्रियजनों और बचपन के दोस्तों से दूर अज्ञात जगह पर चले जाना पढ़ाई बीच में छूट जाना खराब आर्थिक स्थिति और आजीविका न होने की संभावना बच्चों और परिवार की देखभाल करने में कठिनाइयां लड़की और उसके बच्चों दोनों में कुपोषण दहेज की मांग के साथ साथ लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा पति से एचआईवी होने और इसके लिए दोषी ठहराए जाने की संभावना खराब स्वास्थ्य स्थिति - जल्दी या बार बार गर्भवती होना सास-ससुर के घर से निकाले जाने पर आश्रय की हानि और पैतृक घर में आश्रय न मिलना यौन शोषण/उत्पीड़न और हिंसा का जोखिम अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण न होना

हैं:

- अब, सहभागियों से इसका मूल्यांकन करने के लिए कहें कि विवाह में अधिक कठिनाइयों का सामना कौन करता है- लड़कियां/ महिलाएं या लड़के/पुरुष? सहभागियों के इस स्मरण की जांच पड़ताल करें कि जब उनके परिवार की करीबी महिला सदस्य जैसे मां, बहन, पड़ोसी या मित्र को शादी में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था तब उन्हें कैसा महसूस हुआ?
- सहभागियों को स्पष्ट, करें कि आपका उद्देश्य विवाह के संबंध में उन्हें डराना नहीं बल्कि इसके लिए उन्हे तैयार करना है। उन्हें विवाह के संभावित निहितार्थों से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह से जानकार निर्णय ले सकें। यह अभ्यास अपने जीवन में कम उम्र में विवाह करने के लिए मजबूर किए जाने पर अपने सहयोगियों और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय उन्हें बेहतर तर्कों से लैस भी करेगा।
- उन्हें 'पुरुष और महिला का औपचारिक मिलन, विशेष रूप से कानून द्वारा मान्यता प्राप्त, जिसके द्वारा वे पति और पत्नी के रूप में समान के भागीदार बन जाते हैं' के रूप में विवाह की परिभाषा बताएं। 'समान' शब्द पर जोर दें और पूछे कि सहभागी इससे क्या समझते हैं।
- दोनों विवाहित सहभागियों की समान स्थिती से संबंधित सबसे अधिक प्रासंगिक पहलुओं को साझा करें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ उनका समर्थन करें जैसे कि विवाहित महिलाओं का कॉलेज जाना, समान भोजन करना, गर्भनिरोधक का उपयोग करना आदि
  - शिक्षा और आजीविका के समान अवसर,
  - स्वास्थ्य के देखभाल और पोषण तक समान पहुंच,
  - घरेलू मामलों में आपसी निर्णय लेना जैसे कि बच्चों, घर का खर्च वहन करना आदि,
  - घरेलू एवं यौन दुर्व्यवहार सहित हिंसा के सभी रूपों से समान सुरक्षा,
  - घर के कार्यों और जिम्मेदारियों में समान साझेदारी
- ऊपर उल्लेख किए गए अंतिम बिंदु का विस्तार करने के क्रम में, निम्न तालिका रूपरेखा को चार्ट पेपर पर बनाएं और प्रत्येक पंक्ति के लिए सहभागियों से उत्तर प्राप्त करें। उन्हें दिन के अलग अलग समयों के दौरान महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा की गयी प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख करना है।
- कुछ अपेक्षित उत्तर नीचे दिए गए हैं:

	पुरुषों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां	महिलाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियां
बहुत सुबह	सोना, अखबार पढ़ना, चाय पीना, काम पर जाने के लिए तैयार होना	खाना पकाना, नौकरी और स्कूल के लिए पति और बच्चों को तैयार करना
सुबह	नौकरी या आजीविका के लिए जाना	छोटे बच्चों/शिशुओं, परिवार के बड़े बुर्जुगों का ध्याोन रखना, काम पर जाना
दोपहर	सोना या काम पर होना	काम पर होना, बच्चों को पढ़ाना, कपड़े धोना और सफाई करना

	पुरुषों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां	महिलाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियां
शाम/ देर रात	मित्रों और पड़ोसियों से गपशप करना, चाय या शराब पीना, टीवी देखना	खाना पकाना, बिस्तर बिछाना, अगले दिन के लिए तैयारी करना

चर्चा के लिए प्रश्न :

- क्या महिलाओं और पुरुषों द्वारा की जाने वाली दैनिक गतिविधियों के बीच अंतर है ? यदि हां, तो मुख्य अंतर क्या् हैं?
- क्या सभी दैनिक गतिविधियां पति और पत्नी दोनों द्वारा की जा सकती हैं?
- विवाह में समान सहभागिता के लाभ क्या हैं?
- क्या आपको लगता है कि आप मानदंडों को तोड़ देंगे और दैनिक घरेलू कार्यों को करने में अपने जीवन साथी की सहायता करेंगे? क्या आपको लगता है कि आप इन सभी कार्यों और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हैं?
- क्या आपको लगता है कि विवाह में महिलाओं और पुरुषों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिकाओं में परिवर्तन होना चाहिए? क्यों्? कैसे ?

अनुदेशक के नोट्स :

समाज विवाह के बाद महिला और पुरुष से निश्चित भूमिकाएं निभाने और निश्चित जिम्मेदारियां ग्रहण करने की उम्मीद करता है। और हम यह करने के लिए दृढ़ रहते हैं! यदि हम ध्यान्पूर्वक विचार करें तो सभी पारिवारिक एवं घरेलू कार्य (शिशुओं को जन्म देने के अलावा- जो केवल महिलाएं कर सकती हैं) महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किए जा सकते हैं।

आमतौर पर महिलाएं तीन प्रकार के कार्य करती हैं:

- प्रजननीय (परिवार, बच्चों का ख्याल रखना, घर के भीतर स्वास्थ्य देखभाल)
- उत्पादक (घर के बाहर कमाई या घर के भीतर व्यावसाय/व्यापार करना)
- आरामदायक और सामुदायिक (मेहमानों, समारोहों का ख्याल रखना और अब समान रूप से पंचायती राज (PRI))

लेकिन, पुरुष केवल दो प्रकार के कार्य करते हैं, अर्थात उत्पादक (अर्जक) और सामुदायिक (घर के बाहर समाज के साथ बातचीत करना)। इस प्रकार महिलाओं के पास कार्य का तिगुना बोझ है। हालांकि महिलाएं अधिक आर्थिक जिम्मेदारी संभालती हैं, लेकिन पुरुषों ने अब घरेलू कार्यों के अपने हिस्से को संभालना शुरू किया है। पुरुषों को भी बच्चों के पालन पोषण (नन्हें शिशुओं की देखभाल करना, लंगोटी बदलना, यूनिफार्म बदलना, स्कूल होमवर्क कराना, बीमार बच्चे का ध्यान रखना, उनका भावनात्मक सहारा बनना, उनसे उनके शौक, गतिविधियों, आकांक्षाओं आदि के बारे में बात करना) में योगदान करना चाहिए।

गतिविधियों का साझा पति और पत्नी को एक दूसरे के करीब लाता है। इसे वास्तविक सहभागिता भी कहा जा सकता है। उन परिवारों के बच्चे जहां माता और पिता दोनों उन्हें पाल पोसकर बड़ा करने में समान जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं, अधिक साहसी, सामाजिक और विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम होते हैं।

© Breakthrough/India

मॉड्यूल III : सामाजिक लिंग आधारित हिंसा समाप्त करना

सत्र

7

45 मिनट

लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना

आवश्यक सामग्री

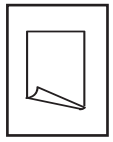

फ्लिप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 2: लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना, की प्रतियां

यौन उत्पीड़न- बुकमार्क और कार्ड की प्रतियां

उद्देश्य :

- मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में खुलेआम लड़कियों/महिलाओं के यौन उत्पीड़न की पहचान करने में किशोरियों/किशोरों की सहायता करना
- किशोरों द्वारा किए जाने वाले खुलेआम यौन उत्पीड़न के कृत्यों के पीछे के कारणों का विश्लेषण करने में सहभागियों की सहायता करना
- खुलेआम यौन उत्पीड़न के खिलाफ भारत के कानूनी निवारण तंत्र के बारे में सहभागियों को बताना

सशक्तिकरण केंद्र: सामाजिक-सांस्कृतिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; मनोवैज्ञानिक

1 क्रियाविधि :

- शिक्षण उद्देश्यों के साथ सत्र के शीर्षक को जोर से बोलें।
- सभी सहभागियों को 'संलग्नक - संलग्नक 4: लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना' की प्रतियां वितरित करें।
- इसके बाद, सहभागियों को 5-6 सदस्यों वाले समूहों में बांटे और उनसे अपने समूहों के भीतर एक साथ कहानी पढ़ने और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करने के लिए कहें। उन्हें 20 मिनट का समय दें। यदि आवश्यक हो तो वे लिखित नोट्स बना सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने सौंपे गए नियत कार्य को समझ लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं। साथ ही चर्चा में योगदान करने के लिए चुप बैठे सहभागियों को प्रोत्साहित करें।

- फिर, प्रत्येक समूह से पास आने और प्रत्येक केस स्टडी के दोनों प्रश्नों पर अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कहें।
- सभी प्रस्तुतियां पूर्ण हो जाने के बाद, समूहों को उनकी सहभागिता और मुद्दे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने के लिए धन्यवाद दें।
- सत्र समाप्त करने से पहले, सहभागियों से इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के क्रम में अपने मित्रों और परिवार को कॉमिक स्ट्रिप्स हैंड सौंपने के लिए कहें।

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- लड़कियों और महिलाओं का खुलेआम यौन उत्पीड़न क्या है? क्या आप उदाहरण दे सकते हैं?
- यह लड़कियों और महिलाओं को किस तरह से प्रभावित करता है?
- लड़के/पुरुष लड़कियों/महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कृत्य क्यों करते हैं?
- क्यो यह अपराध करने वाले लड़कों/पुरुषों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है?
- यदि लड़कों और लड़कियों के बीच स्वस्थ/ बातचीत के लिए पर्याप्त स्थान और मंच हों तो क्या इससे गंभीर खतरे को रोकने में मदद मिलेगी?
- यौन उत्पीड़न के खिलाफ हमारे देश में कौन से कानूनी निवारण तंत्र उपलब्ध हैं?
- लड़कियों/महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीसड़न रोकने के लिए आप सब कौन से कदम उठाएंगे?

3 अनुदेशक के नोट्स :

किसी सार्वजनिक स्थान पर पुरुष द्वारा महिला के बारे में अवांछित यौन टिप्पणी करना या प्रस्ताव रखना यौन उत्पीड़न है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो महिलाओं और लड़कियों के लिए भारी मानसिक यातना और अपमान का कारण बनता है जब उन्हें सड़क पर या सार्वजनिक परिवहन में प्रताड़ित किया जाता है। यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जा सकता है, और यह किसी एक महिला या उनके समूह की ओर निर्दिष्ट हो सकता है। यह गाली या अश्लील ताना भी हो सकता है। ये किसी महिला को स्पर्श करना या उससे शरीर छुआना, उसका पीछा करना या तानाकशी करके उसे असहज महसूस कराना तक भी आगे बढ़ सकते हैं।

खुलेआम यौन उत्पीड़न में शामिल होते हैं :

- अश्लील टिप्पणी
- शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव
- अश्लील साहित्यत दिखाना
- यौन उपकारों के लिए जिद्द या अनुरोध करना
- प्रकृति में यौनिक कोई भी अप्रिय शारीरिक, मौखिक/शारीरिक आचरण करना है।

यौन उत्पीड़न किसी महिला के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का सीधा अतिक्रमण और जीवित रहने के लिए महिला के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। यह विशेष रूप से

- जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार,
- यातना से मुक्ति,
- अभिव्यसक्ति की स्वतंत्रता, और
- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन यापन का पर्याप्त मानक, क्योंकि उसकी आवाजाही प्रतिबंधित हो जाती है या उसे कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, का उल्लंघन करता है ।

भारत में, इन अमानवीय कृत्यों और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के उल्लंघन के प्रति महिलाओं की अधीनता का प्रमुख कारण समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जहां पुरुष सदस्यों को महिलाओं से बेहतर माना जाता है। समाज में महिलाओं और पुरुषों की भूमिका क्रमश: प्रभुत्व और परतंत्रता के संदर्भ में देखी जाती है। महिलाओं को आज्ञाकारी समझा जाता है और पुरुषों के नियंत्रण और देखरेख में रखा जाता है। इन कारणों के अलावा, महिलाओं को वश में करने और उनके शोषण के लिए पुरुषों को जो प्रोत्साहित करता है वह विपरीत लिंग पर अपनी ताकत साबित करने की उनकी इच्छा है। इन अपराधों के कुछ सामान्य कारणों में बदला, अपनी इच्छा का अनुकूल जवाब न मिलने पर घृणा या खुद की ताकत दिखने के लिए भी हो सकते हैं। क्योंकि समाज अभी भी महिलाओं के सम्मान करने की आवश्यकता को समझने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित और परिपक्व नहीं हुआ है।

इसके अलावा हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा् लड़कियों और लड़कों के स्वास्थ्य मेले-जोल की अनुमति नहीं देता है। परिणामस्वरूप लड़के विपरीत लिंग के बारे में मीडिया और फिल्मों द्वारा पेश किए गए रूप में गलत धारणाएं बना लेते हैं जैसे कि लड़कियां अवांछित छेड़खानी विशेषकर जो प्रकृति में शारीरिक/लैंगिक होता है उसकी या किसी लड़की/महिला की बेइज्ज़ती करते हुए या थोड़ा 'मजा' करते लड़कों की सराहना करती हैं। यदि लड़कियों और लड़कों के बीच बचपन से ही स्वस्थ बातचीत और गतिविधि साझा करने को बढ़ावा दिया जाए तो इन गलत धारणाओं को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि तब वे लड़कियों और लड़कों दोनों के असली मुद्दों और व्यवहार से अवगत हो जाएंगे।

समाज में लड़के/पुरुष लड़कियों/महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हो सकते हैं:

- चुप न रहें, दुर्व्यहार के खिलाफ आवाज उठाएं;
- अपने खुद के व्यवहार पर विचार करें, समझें कि कैसे आपका खुद का दृष्टिकोण और चाल-चलन यौनिकता एवं उत्पीड़न को बनाए रखता है, और उन्हें बदलने की दिशा में काम करें;
- मिसाल बनें और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देकर दुर्व्यवहार रोकें;
- मीडिया और अश्लील साहित्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की छवियों का विरोध करें;
- उत्पीड़न रोकने के बारे में अन्यय पुरुषों से बात करें;
- उन महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन प्रकट करें जो यौन उत्पीड़न से लड़ने का प्रयास करती हैं;

- महिला मित्रों, उनकी सुरक्षा के लिए उनके डर और चिंताओं को सुनें और उनकी सहायता करें;
- उन कानूनों का समर्थन करें जो यौन उत्पीड़न को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेने के लिए पुरुषों को प्रोत्साहित करते हैं।

यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), की धारा 509, 294 और 354 के तहत पेश किया गया है। पीड़ित निम्न के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

- आईपीसी की धारा 294, जो अश्लील इशारे, टिप्पणी, गाने या कविता के जरिए किसी लड़की या महिला को मजबूर करने का दोषी पाए जाने वाले पुरुष को अधिकतम तीन महीने की जेल की सजा का दंड देती है।
- आईपीसी की धारा 292, स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है कि किसी महिला या लड़की को अश्लील या गंदी तस्वीर, किताब या कागजात दिखाने पर पहली बार अपराध करने वालों पर दो वर्ष के कारावास के दंड के साथ साथ 2000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। बार बार अपराध करने की स्थिति में अपराधी पर पांच वर्ष के कारावास के दंड साथ साथ 5000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।
- आईपीसी की धारा 509 के तहत, किसी भी महिला या लड़की की ओर अश्लील हरकत करने, अभद्र भावभंगिमा दर्शाने और नकारात्मक टिप्पणी करने या ऐसी किसी वस्तु का प्रदर्शन करने जो महिला के निजी दायरे में दखल देती हो, के लिए एक वर्ष के कारावास का दंड या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़िन करने और व्यक्त अपराध करने में परिवर्तन किया गया जिसमें तीन वर्ष के कारावास और/या जुर्माने का दंड है। संसोधन ने नयी धाराएं भी शामिल की हैं जैसे किसी व्यक्ति द्वारा बिना सहमति के महिला के वस्त्र उतारना, पीछा और यौन कृत्य करना जैसे कृत्य अपराध हैं।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिकांश कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

© Breakthrough/India

सत्र

8

45 मिनट

सुरक्षित स्थान और असुरक्षित स्थान

आवश्यक सामग्री

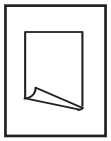

फ्लिप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

सादी A4 आकार वाली शीट

उद्देश्य :

- सुरक्षित और असुरक्षित स्थानों की पहचान करने में किशोरियों और किशोरों की मदद करना
- असुरक्षित स्थानों को सुरक्षित बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करने में सहभागियों को प्रोत्साहित करना

सशक्तिकरण बिंदु: मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्य की घोषणा करें। पिछले सत्र में, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करने के तरीकों की चर्चा की गयी थी। यह सत्र दुर्व्यवहार करने वालों और अपराधियों को असुरक्षित स्थानों जहां वे लगातार अपने अपमानजनक अपराध करते हैं, के रूप में उपलब्ध कराए जाने वाले अवसरों की रोकथाम के बारे में बात करता है।
- फ्लिप चार्ट पर नीचे बिंदु 4 में दर्शाए गए अनुसार तालिका की रूपरेखा बनाएं। सहभागियों से केवल दूसरे कॉलम- 'क्या स्थान सुरक्षित या असुरक्षित हैं?' के लिए उत्तर प्राप्त करें। सहभागियों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आप अधिक स्थान जोड़ सकते हैं।

- इसके बाद, सहभागियों को 5-6 के समूहों में बांटें और प्रत्येक समूह को एक एक स्थान आवंटित करें। उनसे अपने समूहों में विचार विमर्श करने और आवंटित क्षेत्रों को सभी लड़कियों के लिए रहने या यात्रा/सैर करने हेतु सुरक्षित बनाने के तरीके जुटाने के लिए कहें।यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हों ने सौंपे गए नियत कार्य को समझ लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं और यदि आवश्यक हो तभी मार्गदर्शन करें।
- 10-15 मिनट बाद, समूहों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें और प्रत्येक स्थान के लिए तीसरे और अंतिम कॉलम में उनके उत्तर लिखते रहें। कुछ नाटकीय सुझाव पहले से ही नीचे दिए गए हैं।

स्थान	क्या वे आपके लिए सुरक्षित या असुरक्षित हैं?	उन्हें सुरक्षित बनाने के तरीके
घर	**सुरक्षित/ और सुरक्षित हो सकता है**	**प्रत्येक घर के भीतर सिटकनी दार दरवाजों वाले शौचालय बनाना**
स्कूल जाना और वापस आना	**असुरक्षित**	**एकसाथ यात्रा करना, स्कूल आने और जाने वाले साथियों के बारे में पिता से बात करना और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना जो लड़कियों को मुफ्त में साइकिल प्रदान करती हैं**
स्कूल	**असुरक्षित**	**उस खेल प्रशिक्षक के बारे में प्राचार्य महोदय को सूचित करना जो हमें घूरते हैं।** **लड़कियों को लड़कों से पहले कक्षा से बाहर निकलने देने के लिए अपनी क्लास टीचर से अनुरोध करना।**
बाजार/ दुकान	**असुरक्षित**	**पान की दुकान के पास खड़े उन लड़कों के बारे में सरपंच चाचा को सूचित करना जो हमें घूरते और हम पर टिप्पणी करते हैं।**
पड़ोसी	**असुरक्षित**	**सरपंच चाचा से सौर ऊर्जा वाली सड़क प्रकाश व्यवस्था के विचार की चर्चा करना।**
सामुदायिक हॉल		
खेल क्षेत्र		
त्यौहार/ समारोह		
डाक्टर के पास जाना		

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- किस प्रकार से असुरक्षित स्थान लड़कियों/महिलाओं को पुरुषों की तरह अधिकारों और अवसरों का लाभ उठाने के अवसर सीमित कर देते हैं?
- क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करना सिर्फ एक कानून और व्यवस्था का मुद्दा है? लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करने में और क्या किया जा सकता है?
- समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्थानों को सुरक्षित बनाने में लड़के किस तरह से सक्रिय योगदान कर सकतें हैं?

3 अनुदेशक के नोट्स :

सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न तथा यौन हिंसा के अन्य रूप दिखायी देना पूरी दुनिया में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं और लड़कियों के लिए एक रोज़मर्रा की घटना है। महिलाएं और लड़कियां सार्वजनिक स्थानों पर बलात्कार और हत्याएं सहित यौन उत्पीड़न से लेकर यौन हमले तक विभिन्न प्रकार की यौन हिंसा का अनुभव करती हैं और इससे डरती हैं। यह गलियों, सार्वजनिक परिवहन और पार्कों में, स्कूल एवं कार्य स्थलों के भीतर और उनके आस पास, सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं और पानी एवं खाद्य वितरण स्थानों, या उनके अपने ही पड़ोस में होता है।

यह वास्तविकता महिलाओं और लड़कियों की 'आवाजाही की स्वतंत्रता' कम करती है। इससे स्कूल, कार्य और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। यह आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच और सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के अवसरों के आनंद को सीमित कर देता है। यह उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न को काफी हद तक रोका गया है लेकिन अभी भी इसे रोकने और इसका समाधान करने के बजाय यह कुछ कानूनों या नीतियों के साथ अपेक्षित मुद्दा बना हुआ है।

महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून और व्यवस्थाक का ही मुद्दा नहीं है। होने वाले उत्पीड़नों पर विचार करने में अधिक सतर्क एवं विवेकपूर्ण होने तथा महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम के प्रति संवेदनशील होने के लिए पुलिस को सचेत रहने की जरूरत है।लोगों के नजरिए को भी बदलने की जरूरत है। लोग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के उत्पीड़न के नियमित रूप से खड़े नहीं होते हैं। यदि हम लड़कियों को सशक्त करना चाहते हैं, तो हमें माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़की की एजेंसी का निर्माण करने और उस तक सबकी पहुँच की आवश्यकता होगी।

© UNICEF/India/Vishwanathan

मॉड्यूल IV : बेटियों को अहमियत देना

सत्र

9

60 मिनट

सामुदायिक सदस्यों के रूप में महिलाओं का योगदान

आवश्यक सामग्री

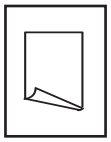

फ्लिप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

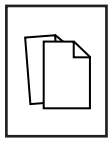

संलग्नक - संलग्नक 4: समाज में महिलाओं का योगदान की प्रति से अच्छी तरह से फाड़ी गयी कागज की पर्ची के तीन टुकड़े

उद्देश्य :

- यह जांच करना कि समाज बेटियों और बेटों को अलग अलग अहमियत क्यों देता है
- समाज में लड़कियों के लिए अधिक अहमियत बनाने के तरीकों की पहचान करना

सशक्तिकरण केंद्र: सामाजिक-सांस्कृतिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; मनोवैज्ञानिक; आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्य की घोषणा करें।
- चार्ट पेपरों को कमरे के दो अलग अलग कोनों में रखें और उन्हें क्रमश: 'बेटे की अहमियत' और 'बेटी की अहमियत' के रूप में शीर्षक दें ।
- सभी सहभागियों से संबंधित चार्ट पेपरों तक पहुंचने और उन पर बेटों और बेटियों को परिवारों में अहमियत दिए जाने का कम से कम एक कारण लिखने के लिए कहें।
- इस नियत कार्य के लिए सभी सहभागियों को 10-12 मिनट का समय दें और इसके बाद सहभागियों द्वारा लिखे गए कारणों को जोर से पढ़ें।

- इस सत्र योजना के तहत उल्लेख किए गए प्रश्नों की चर्चा के साथ आगे की कार्यवाही करें।
- लड़कियों और लड़कों की चाह न होने का सामान्य कारण क्यो है?
- बेटी या बेटा में से किसके बारे में लिखना आसान था?
- समाज में लड़कियों की स्थिति को बदल और उनकी अहमियत में वृद्धि करने के लिए पुरुष क्या कर सकते हैं? लड़कों/पुरुषों सहित सभी लोगों को इससे कैसे लाभ होगा?
- क्या सभी समुदायों के लिए स्थिति सदैव एक सी रही है? यह कब भिन्न हुई और क्यों?
- लड़कों और लड़कियों दोनों पर इस भेदभाव का क्या प्रभाव पड़ा?
- आपको यह कैसे लगता है कि हम स्थिति बदल सकते हैं और लड़कियों एवं लड़कों दोनों के साथ समान बर्ताव सुनिश्चित कर सकते हैं?
- इसके बाद सहभागियों को तीन समूहों में बांटें।प्रत्येक समूह को संलग्नक - संलग्नक 4: समाज में महिलाओं का योगदान की प्रति से अच्छी तरह से फाड़ी गयी कागज की पर्ची की सहायता से एक केस स्टडी दें।
- उनसे अपने समूहों में नीचे उल्लेख की गयी प्रत्येक कहानी के दोनों प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करने के लिए कहें। उन्हें 15 मिनट का समय दें। यदि आवश्यक हो तो वे लिखित नोट्स बना सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने सौंपे गए नियत कार्य को समझ लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं। साथ ही चर्चा में योगदान करने के लिए चुप बैठे सहभागियों को प्रोत्साहित करें।
- इसके बाद, प्रत्येक समूह से पास आने और प्रत्येक केस स्टडी के दोनों प्रश्नों पर अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कहें।
- उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों को फ्लिप चार्ट पर लिखते रहें और उनके सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हौ धन्यवाद दें।उत्तरों को दो अलग अलग वर्गों - महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां और चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक गुण, में लिखा जा सकता है।
- सत्र समाप्त करने से पहले प्रमुख बिन्दुओं का सार प्रस्तुति करें।

2 अनुदेशक के नोट्स :

समाज महिलाओं (बेटियों) और बेटों (पुरुषों) को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अहमियत देता है। हालांकि महिला/लड़की के जीवन से जुड़ी अहमियत बहुत कम होती है, इसीलिए स्थिति में परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। ये प्रयास उन लड़कियों और महिलाओं के साथ स्वयं शुरू किए जा सकते हैं जो साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी सहूलियत के माहौल से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं।पुरुष और लड़के भी उनका बिना शर्त समर्थन करके स्थिति को बदल सकते हैं। ये अहमियत नगद आमदनी, कार्यवाही और योजना के साथ समाज सुधारों पर कार्य करने और सहायता समूहों के गठन के रूप में हो सकती हैं। कुछ मामलों में, यह मौजूदा कानूनी और सामिजक सहयोग व्यवस्था की सहायता से दहेज की मांग और पैतृक संपत्ति में हटाए गए उत्तराधिकार जैसी कुप्रथाओं से लड़ने के लिए साहस करने का साधन भी है।

इन प्रयासों का परिवार और समाज के अन्य सदस्यों द्वारा बाद में व्यापक स्तर पर समर्थन किया जा सकता है। यह स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विचार आदि के लिए महिलाओं की जरूरतों पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में मदद करेगा।

सत्र

10

60 मिनट

महिलाओं की घटती संख्या और इसका प्रभाव

आवश्यक सामग्री

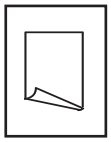

फ्लिप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 5: महिलाओं की घटती संख्या और इसका प्रभाव तथा संलग्नक - संलग्नक 8: सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण की प्रतियां

संलग्नक - संलग्नक 6: सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण

उद्देश्य :

- सामाजिक लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रथाओं के कारण सामाजिक क्षति की पहचान करना।
- सहभागियों को कम उम्र में गर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के बारे में जानकारी प्रदान करना
- विवाह पर महिलाओं की घटती संख्या के प्रभाव की पहचान करना, विशेष रूप से बाल विवाह के संदर्भ में।
- बाल विवाह, सामाजिक लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन, दहेज तथा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ दुर्व्यवहार/हिंसा को समाप्त करने के लिए सहभागियों को शपथ दिलाना।

सशक्तिकरण केंद्र: सामाजिक-सांसकृतिक; पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक; मनोवैज्ञानिक; आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र शीर्षक के साथ उद्देश्य की घोषणा करें।
- सहभागियों को तीन समूहों में बांटें और संलग्नक - संलग्नक 5: महिलाओं की घटती संख्या और इसका प्रभाव की प्रतियां वितरित करें।
- उनसे केवल पहला भाग: 'केस स्टडी 1: सुजाता की कहानी' को पढ़ने एवं समझने और अपने समूहों में कहानी में उल्लेख किए गए प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करने के लिए कहें। चर्चा के लिए 15 मिनट का समय दें और यदि आवश्यक हो तो उन्हे लिखित नोट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने सौंपे गए नियत कार्य को समझ लिया है, प्रत्येक समूह के पास जाएं। साथ ही चर्चा में योगदान करने के लिए चुप बैठे सहभागियों को प्रोत्साहित करें।
- अब, प्रत्येक समूह से आगे आने और केस स्टडी के सभी चारों प्रश्नों पर अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कहें।

- इसके बाद, सहभागियों से दूसरा भाग: 'केस स्टडी 2: पियासो की कहानी' पढ़ने के लिए कहें।
- इस सत्र योजना के तहत उल्लेख किए गए प्रश्नों की चर्चा के साथ आगे की कार्यवाही करें।
- क्या आप अपने पड़ोस में या अपने खुद के परिवार में दोनों कहानियों से मिलते जुलते किसी मामले से अवगत हैं?
- क्या आप सामाजिक लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन से संबंधित कोई कानून जानते हैं?
- क्या आप किसी ऐसे संगठन को जानते हैं जो इन परिस्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता करता है? आपके अनुसार वे किस प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं?
- क्या आपको लगता है कि सामाजिक लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन से संबंधित कानून के बारे में हर किसी को जानना चाहिए?
- क्या होगा यदि महिलाओं की संख्या समय के साथ लगातार घटती जाए? यह समाज को किस तरह से प्रभावित करेगा?
- चुनिंदा क्षेत्रों में दुल्हनों की कमी के कारण बाल विवाह की घटनाओं को चुनौती देने के लिए क्या किया जा सकता है?
- दोनों केस स्टडी पर आधारित समूह प्रस्तुतियों और चर्चा के विचारों का उपयोग करके बाल विवाह की बढ़ती घटनाओं के साथ संबंधित लिंग चयन की कुप्रथाओं द्वारा सत्र का सार प्रस्तुत करें। दूसरे केस स्टडी में उपलब्ध सफलता की कहानी पर प्रकाश डालें जहां दुल्हनों की कमी के कारण बाल विवाह की एक घटना को रोकने के लिए नेताओं के साथ-साथ पूरा समुदाय एक साथ आगे आया था।
- समापन की ओर बढ़ते हुए, पूरे मॉड्यूल में सहभागियों की सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दें और संलग्नक - संलग्नक 6: सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण की प्रतियां वितरित करें।
- अंत में, सहभागियों से आपके बाद शपथ आलेख पढ़ने के लिए कहते हुए सहभागियों को 'यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, सामाजिक लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन, दहेज तथा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ दुर्व्यवहार/हिंसा को समाप्त करना' की शपथ दिलाएं।

2 अनुदेशक के नोट्स :

भारत में लिंग निर्धारण परीक्षण की लोकप्रियता की जडें मजबूत पुत्र-वरीयता में बैठी हैं जिसे काफी हद तक धर्म, परम्परा और संस्कृति की स्वीकृति प्राप्त है। भारत में बेटियों के प्रति भेद-भाव की परंपरा रही है, जो उनके स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने, पोषण और शिक्षा प्राप्त करने में प्रचलित भेद-भाव में दिखती हैं। आजकल की उन्नत तकनीक में लिंग चयन की अत्याधुनिक विधियां है, जिससे जन्मह से पहले बालिकाओं की कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से बाल लिंगानुपात में भारी गिरावट आयी है। चिकित्सालय और चिकित्सा् पेशेवर सिर्फ दो दशक पहले "अभी केवल 500 रुपये खर्च करें, बाद में 500,000 रुपये (दहेज के) बचाएं" जैसी पंक्तियों वाले विज्ञापन का खुल्लाम खुल्ला उपयोग करके लिंग चयन के उद्देश्य के लिए इन परीक्षणों का सुझाव देते थे।

भारत की जनगणना, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिला है। यह 2001 में 927 से कम है। इससे चिंताजनक परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं, जिनमें से कुछ को मीडिया द्वारा खासतौर से दर्शाया गया है। उदाहरण- गुजरात-राजस्थान की सीमा पर स्थित डांग जिले में, एक ही परिवार के 8 भाइयों का विवाह एक ही दुल्हन के साथ किया गया क्यों कि इस क्षेत्र में पत्नी मिलना बहुत ही मुश्किल है- (सितम्बर 2001, इंडिया टुडे)। जैसलमेर जिले के देवरा गांव को 1997 में 110 वर्षों बाद एक बारात आने का गौरव प्राप्त है- (द पायनियर, 28 अक्टूबर, 2001)

कम उम्र में गर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 गर्भधारण के पहले या बाद में लिंग चयन को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्या अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीक के दुरूपयोग को रोकना है जो भ्रूण के लिंग की पहचान करने को सक्षम बनाती है।

पीसी (PC) और पीएनडीटी (PNDT) अधिनियम क्या कहता है?

- » लिंग चयन और लिंग निर्धारण निषिद्ध है।
- » पूर्व नैदानिक प्रक्रियाओं का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति शब्दों, संकेतों या किसी भी अन्य तरीके से संबंधित गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को गर्भ के लिंग के बारे में सूचित नहीं करेगा।
- » अल्ट्रासाउंड करने वाले सभी क्लीनिक पंजीकृत होना चाहिए और केवल अधिनियम के तहत अर्हताप्राप्त डाक्टर ही अल्ट्राटसाउंड जैसी नैदानिक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।
- » सभी क्लीनिकों को निम्नलिखित सूचना: 'भ्रूण के लिंग का प्रकटीकरण कानूनन वर्जित है': प्रमुखता से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करना चाहिए।
- » किसी भी रूप में लिंग निर्धारण परीक्षण का विज्ञापन करने वाले डाक्टर या क्लीनिक सजा के उत्तरदायी हैं।

© Breakthrough/India

संलग्नक

संलग्नक 1

मानव अधिकार क्या हैं?

मानव अधिकार वे बुनियादी बातें हैं जिनके बिना लोग गरिमा के साथ नहीं रह सकते। किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन करना ऐसा व्यवहार करना है कि वह व्यक्ति महिला या पुरुष, मनुष्य नहीं थे। सामाजिक लिंग भेदभाव तब होता है जब लड़कियों या लड़के को अपने मानव अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने और लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए जब लड़कियों से घर की देखभाल या विवाह करने के लिए कम उम्र में ही स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाता है। जबकि उसी परिवार में लड़कों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कमाई करेगा।समाजीकरण की प्रक्रिया महिलाओं और पुरुषों दोनों के अपने अधिकारों का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करती है।

मानव अधिकारों के बारे में जानने के लिए हम सम्मान, निष्पक्षता, न्याय और समानता के विचारों के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम अपने स्वयं के अधिकारों का समर्थन करने और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी सीखते हैं।

मानव अधिकारों के अंतर्गत करीब 30 अनुच्छेद हैं जिनपर दुनिया भर के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर हस्ताक्षर करके सहमति व्यक्त की है। किशोरवय के मामले में लागू अधिक प्रासंगिक और महत्वअपूर्ण अधिकारों में शामिल हैं:

- जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार
- यातना से मुक्ति
- निष्पक्ष सुनवाई
- अभिव्यसक्ति की स्वतंत्रता
- धर्म की स्वतंत्रता
- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन का योग्य मानक

सरकारों की विशेष जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि लोग अपने अधिकारों का लाभ उठाने में सक्षम हों। वे उन कानूनों और सेवाओं की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं जो अपने नागरिकों को जीवन जिसमें उनके अधिकारों का पालन किया जाता है, का आनंद उठाने में सक्षम बनाती हैं।

हमारी अन्य लोगों और समुदायों के प्रति भी जिम्मेदारियां और कर्तव्य हैं। व्यक्तियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि वे दूसरे के अधिकारों के लिए यथोचित आदर के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करता है, तो उन्हें किसी को नीचा दिखाने के लिए भड़काऊ भाषण देकर या अभद्र भाषा का प्रयोग करके किसी और के सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

मानव अधिकार समाज में, परिवार, समुदाय, शैक्षिक संस्थानों, कार्यस्थलों में, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सभी स्तरों पर दूसरों के साथ लोगों के बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। इसलिए हर जगह के लोगों को न्यासय, समानता, और समाज की भलाई को सुनिश्चित करने के क्रम में मानव अधिकारों को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो अत्यावश्यक है।

संलग्नक **2**

लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ खुलेआम यौन उत्पीड़न को समाप्त करना

यहां दी गयी कहानी पढ़ें और अपने समूह में चर्चा करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

प्रीती की उम्र 16 वर्ष है और वह अपने माता-पिता एवं तीन बहनों के साथ पास के एक गांव में रहती है।हाल ही में, उसे परेशान करने वाले कुछ पड़ोसी लड़कों के कारण उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लड़के 'प्रीती-प्रीती' कहकर उसका नाम पुकारते रहते हैं और उस पर सीटी बजाते हैं।वे अश्लील इशारे भी करते हैं जैसे कि फ्लाइंग किस और गलत समय पर उसे फोन करते हैं। इसके अलावा अपने स्कूल जाने के लिए बस में सवार होते समय वे उसके साथ जाते हैं और वापस रास्ते में भी उसका पीछा करते हैं। वे उसकी ओर दूर से अश्लील पत्रिका का मुख्य पृष्ठ भी चमकाते हैं।

एक दिन, प्रीती के पिता ने उसकी ओर अश्लील इशारे करने वाले उन लड़कों को पकड़ लिया। तत्काल उन्होंने दूर सुरक्षित स्थान पर प्रीती की शादी करने का फैसला किया। शीघ्र ही, प्रीती की शादी जल्दबाजी में अधिक उम्र वाले एक आदमी से कर दी गयी और उसका स्कूल जाना बंद हो गया। दो वर्ष के भीतर, कई बार गर्भपात होने के बाद ही वह मां बन पायी। वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गयी और अक्सर बीमार रहने के कारण पैसे कमाने में सक्षम न होने पर उसके पति ने उसे मारना-पीटना और गाली देना शुरू कर दिया।

आपके समूह में चर्चा किए जाने वाले प्रश्न:

1. प्रीती की आज की स्थिति के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? क्यों
2. पड़ोसी लड़कों ने प्रीती का उत्पीड़न क्यों् किया? क्या यह उसकी गलती थी?
3. कहानी में प्रीती के किन मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया?
4. आपके परिवार के करीबी सदस्यों जैसे कि बहन या चाची में से किसी ने पुरुषों/लड़कों के सार्वजनिक उत्पीड़न का सामना किया है?

खुलेआम यौन उत्पीड़न क्या है?

यह किसी सार्वजनिक स्थान पर पुरुष द्वारा महिला के बारे में अवांछित यौन टिप्पणी करना या प्रस्ताव रखना है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जब उन्हें सड़क पर या सार्वजनिक परिवहन में प्रताड़ित किया जाता है तो वह महिलाओं और लड़कियों के लिए भारी मानसिक यातना और अपमान का कारण बनता है। यह किसी महिला के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का सीधा अतिक्रमण और जीवित रहने के लिए महिला के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जा सकता है, और यह किसी एक महिला या उनके समूह की ओर निर्दिष्ट हो सकता है। यह सामाजिक रूप से अस्वीकृत ताने/गाली या अश्लील ताना मारना भी हो सकता है। यह किसी महिला को स्पर्श करना या उससे शरीर छुआना, उसका पीछा करना या अवांछित टिप्पणी करके उसे असहज महसूस कराना तक भी आगे बढ़ सकते हैं।

खुलेआम यौन उत्पीड़न में शामिल है:

- अश्लील टिप्पणी
- शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव
- अश्लील साहित्य दिखाना
- यौन उपकारों के लिए जिद्द या अनुरोध करना
- प्रकृति में यौनिक कोई भी अप्रिय शारीरिक, मौखिक/शारीरिक आचरण करना।

खुलेआम यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा करने वाले भारतीय कानून क्या हैं?

यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), की धारा 509, 294 और 354 के तहत पेश किया गया है। पीड़ित निम्न के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

- आईपीसी की **धारा 294,** जो अश्लील इशारे, टिप्पणी, गाने या कविता के जरिए किसी लड़की या महिला को मजबूर करने का दोषी पाए जाने वाले पुरुष को अधिकतम तीन महीने के कारावास की सजा का दंड देती है।
- आईपीसी की **धारा 292,** स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है कि किसी महिला या लड़की को अश्लील या गंदी तस्वीर, किताब या कागजात दिखाने पर पहली बार अपराध करने वालों पर दो वर्ष के कारावास के दंड के साथ साथ 2000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। बार बार अपराध करने की स्थिति में अपराधी पर पांच वर्ष के कारावास के दंड साथ साथ 5000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।
- आईपीसी की **धारा 509** के तहत, किसी भी महिला या लड़की की ओर अश्लील हरकत करने, अभद्र भावभंगिमा दर्शाने और नकारात्मक टिप्पणी करने या ऐसी किसी वस्तु का प्रदर्शन करने जो महिला के निजी दायरे में दखल देती हो, के लिए एक वर्ष के कारावास का दंड या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता की **धारा 354**A के तहत यौन उत्पीड़न करने और व्यक्त अपराध करने में परिवर्तन किया गया जिसमें तीन वर्ष के कारावास और/या जुर्माने का दंड है। संसोधन ने नयी धाराएं भी शामिल की हैं जैसे किसी व्यक्ति द्वारा बिना सहमति के महिला के वस्त्र उतारना, पीछा और यौन कृत्य करना जैसे कृत्य अपराध हैं।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिकांश कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

संलग्नक **3**

बाल विवाह में मानव अधिकारो का उल्लंघन

समूह 1: स्वास्थ्य एवं बाल विवाह

मीना 15 साल की है और गांव में रहती है। वह कक्षा नौंवी में पढ़ती है। एक दिन, उनका एक पडोसी अपने भतीजे का रिश्ता लेकर उसके पिताजी के पास आया। उनका भतीजा छत्तीसगढ़ में रहता था और वह ईंट के भट्टे में मजदूर का काम करता था वह अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के सिलसिले में जाता रहता था। मीना शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मगर उसके पिताजी को लगा कि यह पिता का फर्ज निभाने का अच्छा मौका है। आखिरकार वे मीना का विवाह एक महीने के अंदर करवा देते हैं।

एक साल के बाद, 16 साल की उम्र में उसने एक लड़की को जन्म दिया। गर्भावस्था के दौरान, उसे पर्याप्त भोजन या अच्छी देखभाल नहीं मिली थी। अधिकांश समय, उसके पति काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। हालांकि उनका घर आना-जाना लगा रहता था। उसका पति नियमित रूप से पैसे भी नहीं भेजता था। उसका गर्भावस्था का समय काफी मुश्किलों भरा रहा और वह बहुत कमजोर और बीमार हो गई थी। किसी तरह उसे एक कम वजन वाले और कुपोषण के शिकार शिशु को जन्म दिया।

अगले कुछ महीनों के दौरान, मीना को बार-बार बुखार और चकते होने लगे, उसे ज्यादा थकान महसूस होने लगी और गर्दन पर सूजन हो गई। वह डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसे खून की जांच कराने की सलाह दी, जांच रिपोर्ट में उसे HIV पॉजिटिव पाया गया।

जब उसके सास-ससुर को उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे और उसकी बच्ची को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उसके चरित्र पर भी लांछन लगाए। अब तक उसकी बच्ची भी बार-बार बीमार पड़ने लगी थी। वह अपने माता-पिता के पास गई मगर उन्होंने भी उसे अपने घर में पनाह देने से इंकार कर दिया।

समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में किन अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह अधिकारों के हनन का लड़की पर क्यां प्रभाव पड़ा?

Please photocopy and cut the grey line

समूह 2: विकल्प चुनने/निर्णय लेने का अधिकार और बाल विवाह

रमा शहर के नजदीक एक गांव में रहती थी। हर साल, वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। जब वो कक्षा नौंवी में गई तो उसके पिता ने उसकी मां की जोरदार विरोध के बावजूद उसे उपहार में एक मोबाइल फोन दिया। रमा इंग्लिश कोचिंग की कक्षा के अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर खूब बात करने लगी। धीरे-धीरे उसके पिता को भी उसका अपने दोस्तों के साथ इस तरह बात करना नागंवार लगने लगा।

एक दिन, उसने देखा कि उसके माता-पिता ने उसके लिए दूल्हा खोजना शुरू कर दिया था। उसने उनसे कहा कि वह शादी करने के बजाय अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं। मगर उसके पिताजी ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया, उनको लगता था कि उसकी दोस्ती किसी लड़के से है जो उनकी बिरादरी से बाहर का था। इसलिए उन्होंने रमा पर दबाव बनाया कि वो उनकी पसंद के लड़के के साथ शादी करें।

अगले दिन, वह स्कूल जाते समय अपने दोस्त प्रीतम से मिली और उसे अपने घर की पूरी बात बताई। रमा और प्रीतम उस दिन स्कूल नहीं गए और एक पार्क में बैठकर अपनी समस्या का समाधान ढूढने का प्रयास करने लगे। वापसी में वे रमा के पिताजी से मिले, जो प्रीतम के साथ अपनी लड़की को देखकर आग-बबूला हो गए।

रमा उस दिन घर वापस नहीं गई। रमा के पिताजी ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का किसी ने अपहरण कर लिया है, हालांकि वे जानते थे कि उनका ये आरोप झूठा है। बाद में उन्हें पता चला कि रमा ने अपने दोस्त प्रीतम से शादी कर ली है वो प्रीतम के घर में उसके माता-पिता की सहमति से रह रहे थे। गुस्से से भरे रमा के पिताजी अपने इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ उससे मिलने आए और लड़के को बुरी तरह से पीटा। उसके पिताजी ने उसे घर वापस चलने के लिए बहुत कहा मगर वह नहीं मानी। बल्कि उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसका कोई अपहरण नहीं किया गया है और उसने अपनी मर्जी से प्रीतम से विवाह किया है।

समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में किन अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह अधिकारों के हनन का लड़की पर क्या प्रभाव पड़ा?

Please photocopy and cut the grey line

समूह 3: शिक्षा, रोजगार और बाल विवाह :

श्रेया एक गरीब परिवार से थी मगर वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और स्कूल में हमेशा अच्छा नंबर लाती थी। उसके दो भाई थे, वे दोनों भी स्कूल जाते थे और ट्यूशन भी पढ़ते थे। जब वो कक्षा नौंवी में गई, तब वो 15 साल की थी, उसके पिताजी ने उसकी शादी एक दर्जी से तय कर दी।

शादी के बाद, श्रेया अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी मगर उसे इसकी लिए अनुमति नहीं मिली। इसके बाद के तीन वर्षों के दौरान उसने दो बच्चों को जन्म दिया। धीरे-धीरे उसके पति का धंधा मंदा होने लगा। उसका पति रोजाना उसे सताने लगा और बार-बार उससे कमाई करके अपने बच्चों को पालने के लिए कहने लगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने नजदीक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन किया। मगर यहां पर भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया और उसे यह नौकरी नहीं मिली क्यों कि उस पद के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा दसवीं पास होना जरूरी था।

समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में किन अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह अधिकारों के हनन का लड़की पर क्या प्रभाव पड़ा?
3) यदि श्रेया ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की होती तो, इससे उनके जीवन में क्या फर्क आता?

Please photocopy and cut the grey line

समूह 4: हिंसा और बाल विवाह :

नजदीक के गांव की रहने वाली 15 साल की राधा अपनी सबसे अच्छी सहेली मिनी के साथ ट्यूशन से घर लौटते समय हुई बलात्कार की घटना के बारे में सुन कर काफी दुखी थी। अपनी लड़की के साथ इस तरह घटना को रोकने के लिए राधा के पिताजी उसकी शादी एक ऐसे आदमी से जल्दबाजी में कर दी जो उससे 14 साल बड़ा था। जबकि राधा आगे पढ़ना चाहती थी, और कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहती थी, उसे इच्छा न होते हुए भी यह शादी करनी पड़ी। उसको यह विवाह इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसके माता-पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसका हाल भी उसकी सहली मिनी जैसा हुआ तो वे आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि इसके बाद समाज का सामना करना उनके लिए अत्यंत अपमानजनक होगा।

शादी के बाद, उसके सास-ससुर ने उसके काले रंग के कारण अपने साथ 30000 रु. लाने का आदेश दिया। इसके अलावा, वह सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करती थी। परिवार में सबके सोने के बाद उसे सोने की इजाजत थी। उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था क्योंकि वो अपने पति के परिवार की दहेज की मांग को हर बार पूरा करने में असमर्थ थी। वो अपने पति से बात नहीं कर पाती थी क्यों कि वो उम्र में उससे बहुत बड़ा था। उसके बार-बार मांगने पर भी उसका पति उसे पैसे नहीं देता था। वो अपने लापरवाह पति की मांग पर उसके साथ यौन संबंध बनाने में खुद को काफी असहज महसूस करती थी।

राधा चुप रहती थी और उसने अपने माता-पिता को तब तक अपने संघर्ष की बात नहीं बताई जब उसे पता चला कि उसके पति के अपने दफ्तर में अपनी किसी साथी महिला से भी संबंध हैं।

समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में किन अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह अधिकारों के हनन का लड़की पर क्या प्रभाव पड़ा?

Please photocopy and cut the grey line

संलग्नक **4**

समाज में महिलाओं का योगदान

16 वर्षीय लड़की **तब्बू,** तीन भाइयों और बहनों वाले एक बड़े ग्रामीण परिवार में रहती थी। उसने बाल विवाह के खिलाफ कार्य करने वाले स्थानीय एनजीओं में एक नुक्कड़ नाटक कलाकार के रूप में शामिल होने का निश्चय किया। उसने बाल विवाह के खिलाफ स्वतंत्र रूप से निडर होकर बोलने वाले मुख्य चरित्र के रूप में प्रदर्शन किया। तब्बू अपने चरित्र में बहुत ही सजीव थी और बाल विवाह की रोकथाम के लिए संभावित समाधान खोजने में दर्शकों को प्रभावी ढंग से आकर्षित करती थी।

उसने इन अनुभवों का अपने खुद के परिवार के साथ भी साझा किया और वह नाटक के इस संदेश को कि कम उम्र में शादी बालिका के शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, व्यक्त करने में भी सक्षम हो गयी। इसके बाद वह अपने माता पिता को अपनी दो बड़ी बहनों की शादी जो पहले से तय थीं, देर से करने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कोर्स शुरू करने के अलावा उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए भी समझाने में सक्षम हो गयी।

तब्बू के भीतरी आत्म विश्वास और दृढ़ निश्चय ने अपने परिवार के साथ समस्याओं के बारे में बातचीत करने, अपने आस पास के सभी लोगों के बेहतर जीवन के लिए संभावित समाधानों की चर्चा करने में उसकी सहायता की।यह और भी उल्लेखनीय है कि एक युवा लड़की लम्बे समय से चली आ रही प्रथाओं के बारे में बात करने और अपने परिवार की पितृसत्तात्मक मानसिकता में परिवर्तन करने में सज्ञम थी। यह उस तथ्य को भी प्रदर्शित करता है कि भले ही बाल विवाह का उत्तरदायी गरीबी को ठहराया जाता हो लेकिन वास्तव में यह लड़कियों की कम उम्र में शादी करने के परिणामों के बारे में जागरूकता का अभाव है।

अपने समूह में निम्नलिखित की चर्चा करें:

1. कहानी में महिला द्वारा किन चुनौतियों का सामना किया गया? क्या समाज ने उसकी सफलता से पहले उसको अहमियत दी?

2. महिला में वे कौन से गुण हैं जिनसे चुनौतियों से उबरने और समाज में अपनी स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने में उसको मदद मिली?

Please photocopy and cut the grey line

मैरी कॉम का जन्म मणिपुर के कन्गोठेई गांव में एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। हमेशा स्कूल जाने, अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने और हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स (लेकिन मुक्केबाजी नहीं) सहित सभी प्रकार के खेल खेलने के बीच, मैरी कॉम ने खेतों में काम किया और अपने किसान माता पिता की मदद की। 1998 के एशियाई खेलों में मणिपुर के मुक्केबाज स्वर्ण पदक विजेता डिंग्को सिंह से प्रेरित होकर मैरी कॉम एथलेटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल चली गयी। फटे जर्जर कपड़े पहने, इस किशोरी ने भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच के. कोसाना मेइती से सम्पर्क किया और उनसे एक मौका देने के लिए कहा।कोच याद करते हैं कि जिस समय तक अन्य खिलाड़ी अपने बिस्तर पर चले जाते थे, वह रात में बहुत देर तक मुक्कों का अभ्यास करती थी । मैरी कॉम का लक्ष्य अपने परिवार को गरीबी से ऊपर उठाना और अपने नाम के अनुरूप आचरण करना था।

मैरी कॉम पांच बार विश्व मुक्के बाजी की चैम्पियन रहीं, और छह विश्व चैम्पियनशिप में हर एक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। वह एकमात्र ऐसी भारतीय महिला मुक्के बाज हैं जिन्होंने 2012 के ग्रीष्म कालीन ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई किया और अपने देश के लिए कांस्य पदक जीता। एआईबीए (AIBA) विश्वप महिला रैंकिंग फ्लाइवेट वर्ग में भी उन्हें स्थान दिया गया है। इतनी अधिक कामयाबी प्राप्त करने के बाद भी अपनी खुद की सफलता से असंतुष्ट, 30 वर्षीय मैरी- जो विवाहित हैं और जिनके दो जुड़वां बेटे हैं - सुविधा से वंचित युवाओं को 2007 से मुक्केबाजी सिखा रही हैं।

अपने समूह में निम्नलिखित की चर्चा करें:

1. कहानी में महिला द्वारा किन चुनौतियों का सामना किया गया? क्या् समाज ने उसकी सफलता से पहले उसको अहमियत दी?

2. महिला में वे कौन से गुण हैं जिनसे चुनौतियों से उबरने और समाज में अपनी स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने में उसको मदद मिली?

Please photocopy and cut the grey line

शालू के पति की अभी हाल ही में मृत्यु हो गयी, जो अपनी दो बेटियों और एक बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी के साथ उसे अकेला छोड़ गए। शालू ने कई घरों में बावर्ची के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन वह पर्याप्त कमाई नहीं कर सकी।

उसने अन्य लाभदायक विकल्प तलाशने का फैसला किया, और पेशेवर ड्राइवर के रूप में कार्य करने में उसकी रूचि हो गयी। कुछ ही महीनों में उसने एक स्थानीय एनजीओ द्वारा चलायी जा रही नि:शुल्क ड्राइविंग कक्षाओं में शामिल होकर पेशेवर ड्राइविंग सीख लिया। उसने ड्राइविंग सीखते समय बावर्ची के रूप में कार्य करके पैसे कमाने के लिए दो गुना कठिन परिश्रम किया। ड्राइविंग के साथ साथ उसे आत्मरक्षा करने, हिन्दी। और अंग्रेजी बोलने, संप्रेषण कौशल, महिलाओं के अधिकार और यौन स्वास्थ्य के बारे में भी सिखाया गया।

आज, शालू के पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस है और वह पास के स्कूल में अच्छे वेतन पर नौकरी करती है। वह स्वतंत्र रूप से नए स्थानों की खोज करने में बहुत सम्मानित और मुक्त महसूस करती है। उसे अपने पेशे पर गर्व है और वह अपने वाहन से अपने परिवार के सदस्य के समान प्यार करती है। उसका पूरा समुदाय उसे विस्म्य से देखता है। अब वह अपने बच्चों के उज्जवल भविष्या को सुरक्षित कर सकती है।

अपने समूह में निम्नलिखित की चर्चा करें:

1) कहानी में महिला द्वारा किन चुनौतियों का सामना किया गया? क्या समाज ने उसकी सफलता से पहले उसको अहमियत दी?

2) महिला में वे कौन से गुण हैं जिनसे चुनौतियों से उबरने और समाज में अपनी स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने में उसको मदद मिली?

Please photocopy and cut the grey line

संलग्नक **5**

महिलाओं की घटती संख्या और बाल विवाह पर इसके प्रभाव

केस स्टडी 1: सुजाता की कहानी

उन्नीस वर्षीय सुजाता विवाहित है और अपने स्नेही पति एवं सास-ससुर के साथ रहती है। उसका पति पास की दुकान पर काम करता है और सुजाता स्वयं सभी घरेलू कार्य संभालती है और अपने वृद्ध सास-ससुर का ध्यान रखती है। अपने माता-पिता के साथ-साथ उसका पति परिवार में शादी होने के बाद से ही उसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर कर रहा है।

कुछ ही समय में सुजाता गर्भवती हो गयी। अब वह तीन महीने की गर्भवती है और उसके सास-ससुर यह जानने के लिए कि बच्चा लड़का है या एक लड़की, वे उसका अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण कराना चाहते हैं। सुजाता को चिंता है कि यदि यह पता चला कि शिशु एक लड़की है तो क्या होगा? वह चिंतित है और यह नहीं जानती है कि वह किसके साथ अपनी चिंता साझा कर सकती है- अपने पति या अपने स्वयं के माता-पिता के साथ?

इन प्रश्नों की अपने समूह में चर्चा करें और उत्तर प्रस्तुत करें:

1. आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुजाता के सास-ससुर लिंग निर्धारण परीक्षण कराना चाहते हैं?
2. आपको क्या लगता है कि सुजाता को ऐसा करना चाहिए? वह कहां से सहायता/समर्थन प्राप्त कर सकती है?
3. आपको क्या लगता है कि यदि यह पाया गया कि भ्रूण एक लड़की है तो सुजाता के लिए परिणाम क्या होंगे?
4. इस स्थिति में सुजाता के पति को क्या निर्णय लेना चाहिए?

Please photocopy and cut the grey line

केस स्टडी 2: पियासो की कहानी

पियासो नामकुम ब्लॉक के हीसापीडी गांव में रहने वाले बुद्धा महतो और जावा देवी की 12 वर्षीय पुत्री है। पियासो अनपढ़ है और कभी भी स्कूल नहीं गयी।

युवा बेटियों की रजस्वला होते ही शादी करना हीसापीडी गांव में एक आम बात है और यह प्रथा इसलिए व्याप्त है क्योंकि इसका विरोध करने के लिए काई भी आवाज नहीं उठा रहा है। हाल ही में, यह गांव हरियाणा (देश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य) के लिए बाल दुल्हनों के स्रोत के रूप में और बाल दुल्हनों की तस्करी की उच्च दर के लिए बदनाम हो गया। यह सूचना मिली है कि हरियाणा के गावों से अधिक उम्र वाले पुरुष शादी के समारोह की लागत के लिए टोकन राशि का भुगतान करके अपनी पसंद की दुल्हन लेने के लिए गांव पहुंच रहे हैं। ऐसे निराशाजनक परिदृश्य में, 12 वर्षीय पियासो की शादी हरियाणा के एक 38 वर्षीय पुरुष के साथ 50,000 रुपये की टोकन राशि के बदले में नवम्बर 2013 में तय कर दी गयी। अनपढ़ और युवा होने के नाते, पियासो यह पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ थी कि प्रस्तावित विवाह एक दासता का रूप था।

पियासो की नजदीकी शादी की घोषणा गांव में कर दी गयी जो बाल विवाह के खिलाफ कार्य कर रहे एक स्थानीय एनजीओ (NGO) के साथ प्रशिक्षित महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह (SHG) द्वारा भी सुनी गयी। एसएचजी के सदस्यों ने कार्यवाही करने और पियासो की शादी रोकने का फैसला किया। उन्हों ने श्री रमेश सिंह मुंडा, पंचायत मुखिया की सहायता से इस घटना की जानकारी पुलिस और स्थोनीय मीडिया को दी। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाल तस्करी के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गयी।

बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों के बारे में बढ़ा हुआ ज्ञान और जागरूकता ग्रामीणों (मुखिया, एसएचजी सदस्य, पुलिस आदि) की धारणा बदलने में मददगार थी। बाल विवाह रोकने के लिए गांव में पहली बार कार्यवाही की गयी। इसने गांव और आसपास के इलाकों में इसी तरह की घटनाओं का सामना करते समय कार्यवाही करने हेतु अन्य समूह के सदस्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया।

इन प्रश्नों की अपने समूह में चर्चा करें और उत्तर प्रस्तुत करें:

1. पियासो जैसी युवा लड़कियों को हरियाणा से पुरुषों को क्यों ब्याही जा रही थी?
2. हितधारकों ने बाल विवाह को रोकने के लिए क्या कदम उठाए?

Please photocopy and cut the grey line

संलग्नक **6**

सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण

शपथ ग्रहण

(यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, सामाजिक लिंग आधारित लिंग चयन, दहेज और महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ दुर्व्यवहार/हिंसा को समाप्त करने के प्रति)

मैं, भारत के नागरिक के रूप में शपथ लेती/लेता हूं कि:

मैं केवल कानूनी उम्र के बाद ही शादी करूंगी/करूंगा, जो लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। मैं 18 वर्ष से कम आयु वाली दुल्हन भी नहीं लाऊंगा।

मैं उस किसी के शादी समारोह में भाग नहीं लूँगा/लूँगा जो विवाह की कानूनी उम्र से छोटा है। मैं ऐसा न करने के लिए अपने रिश्तेदारों और समुदाय को राजी और प्रेरित भी करूंगी/करूंगा ।

मैं लड़कियों के अधिकारों का समर्थन और उनका सम्मान करूंगा तथा लड़कियों की बेहतर शिक्षा, पोषण और संरक्षण हेतु किए गए प्रत्येक कार्य के लिए अपने परिवार का समर्थन करूंगा और यह भी सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें संपत्ति या विरासत का अपना कानूनी हिस्सा भी मिले।

मैं अपनी पत्नी या किसी भी महिला रिश्तेदार से कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए नहीं कहूंगा और न ही इसका किसी भी तरह से समर्थन करूंगा।

मैं न तो दहेज लूंगा और न ही दहेज दूंगा।

मैं हमेशा महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करूंगा और कभी भी घर पर, सड़क पर, अपने कार्यस्थल पर या कहीं और उनके साथ अनुचित तरीके से व्यवहार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि एक आदर्श पुरुष होने का मतलब लड़कियों और महिलाओं का आदर एवं सम्मान करना है।

मैं अपने साथियों को भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करना और कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार न करना सिखाऊंगा। मैं जानता हूं कि आदर्श पुरुष का मतलब घर में और इसके आसपास लड़कियों और महिलाओं के लिए सम्मान और सुरक्षा का वातावरण तैयार करना है।

मैं हिंसा और बाल दुर्व्यवहार - शारीरिक, भावनात्मक या किसी भी तरीके की लापरवाही से सभी बच्चों की सुरक्षा करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सबकुछ करूंगा।

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

breakthrough
human rights start with you

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

www.inbreakthrough.tv
/BreakthroughIN
@INBreakthrough

unicef
unite for children

73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 🖷 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

www.unicef.in
/unicefindia
@UNICEFIndia